आज़ादी का अमृत महोत्सव

सहकार से समृद्धि

NCCT NEW DELHI

G20 भारत 2023 INDIA

प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नए पहलुओं के बारे में जागरूकता

पैक्स के मॉडल उपनियम

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)

National Council For Cooperative Training

(An Autonomous Society Promoted by Ministry of Cooperation, Government of India)

List of Articles/Editorials on Model Bye-law for PACS

Index Page

State	Language	Newspaper	Edition	Date of Publication	Contributor	Index Page No.
Chhattisgarh	Hindi	दैनिक श्रमबिन्दु	दुर्ग -भिलाई	14.01.2023	श्री लखन लाल साहू	1.
Chandigarh	Punjabi	Punjab Tribune	Punjab	16.01.2023	RICM Chandigarh	2.
Manipur	English	The Sangai Express	Manipur	17.01.2023	NCCT	3.
Kerala	Malayalam	Mathrubhumi Daily	Kerala	17.01.2023	Shri Biju Paravath, Editor	4.
Chandigarh	English	VNC Media	Chandigarh	18.01.2023	RICM Chandigarh	5.
Chandigarh	English	Aman Sandesh Times	Chandigarh	18.01.2023	RICM Chandigarh	6.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Indore	18.01.2023	Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist	7.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Satna	18.01.2023		8.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Gwalior	18.01.2023		9.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Jabalpur	18.01.2023		10.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Chindwara	18.01.2023		11.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Bhopal	18.01.2023		12.
Odisha	Odiya	Utkal Mail	Bhubaneswar and Rourkela	18.01.2023	ICM Bhubaneswar	13.

Chandigarh	Hindi	Jagaran	Chandigarh	19.01.2023	RICM Chandigarh	14.
Manipur	Manipuri	The Sangai Express	Manipur	19.01.2023	ICM Imphal	15.
Manipur	English	Hill Hornbill Express	Manipur	19.01.2023	ICM Imphal	16.
Manipur	English	The Aizwal Post	Manipur	19.01.2023	ICM Imphal	17.
Manipur	English	NISIN Thuhiltu	Manipur	19.01.2023	ICM Imphal	18.
Manipur	Manipuri	Paonilkhon	Imphal	19.01.2023	ICM Imphal	19.
Madhya Pradesh	Hindi	Pradesh Times	Bhopal	19.01.2023	ICM Bhopal	20.
Chandigarh	English	State Times	Srinagar	20.01.2023	RICM Chandigarh	21.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Indore	20.01.2023	Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist	22.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Satna	20.01.2023		23.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Gwalior	20.01.2023		24.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Jabalpur	20.01.2023		25.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Chindwara	20.01.2023		26.
Madhya Pradesh	Hindi	Nav Bharat	Bhopal	20.01.2023		27.
Gujarat	Gujarati	Gandhinagar Samachar	गांधीनगर	20.01.2023	RICM Gandhinagar	28.
Rajasthan	Hindi	Sahakar Srishti	Rajasthan	20.01.2023	Shri Mangal Jit Rai, Chairman, NCDFI	29.
Rajasthan	Hindi	जोशीला वतन	Rajasthan	21.01.2023	Dr. Navneet Agarwal, Assistant Director, World Trade Centre, Jaipur	30.

Rajasthan	Hindi	दिव्य संचेतना	Rajasthan	21.01.2023	Dr. Navneet Agarwal, Assistant Director, World Trade Centre, Jaipur	31.
Bihar	Hindi	Prabhat Khabar	Patna	23.01.2023	RICM Patna	32.
Rajasthan	हिन्दी	दैनिक लोकमत	जयपुर	23.01.2023	Dr. Navneet Agarwal, Assistant Director, World Trade Centre, Jaipur	33.
Andhra Pradesh	Telugu	Sakshi Telugu Newspaper	Kadapa YSR District	30.01.2023	Cooperative Training Centre Kadapa (CTC) Andhra Pradesh	34.
Andhra Pradesh	Telugu	EENADU Telugu Newspaper	YSR District	30.01.2023	Cooperative Training Centre Kadapa (CTC) Andhra Pradesh	35.
Andhra Pradesh	English	The HANS India	Tirupati	30.01.2023	Cooperative Training Centre Kadapa (CTC) Andhra Pradesh	36.
Madhya Pradesh	Hindi	दैनिक श्रमबिन्दु	दुर्ग-भिलाई	31.01.2023	श्री लखन लाल साहू	37.

पैक्स के मॉडल उपनियमों पर संक्षिप्त जानकारी (ब्रीफ)

लखन लाल साहू
पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, रायपुर

देश में लगभग 95,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) स्थित हैं, जिन्हें नाबार्ड द्वारा 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और 34 राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इन पैक्स में 13.12 करोड़ किसान सदस्य हैं। पैक्स किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि, अकेले इन व्यवसायों से होने वाली आय, पैक्स की संचालन गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में, पैक्स द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियाँ उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित हैं, जो ज्यादातर मामलों में दशकों पुरानी हैं और उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर पैक्स को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए प्रारूप मॉडल उपनियम तैयार करने के लिए किया गया था। इन्हें सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों को उनकी टिप्पणियों / प्रतिक्रिया के लिए दिनांक 01.07.2022 को परिचालित किया गया था। इस पर आम जनता के सुझाव भी मांगे गए थे। संबंधित सभी हितधारकों से 1500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें मॉडल उपनियमों के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

ये मॉडल उपनियम पैक्स को 25 से अधिक क्षेत्रों (कृषि और गैर-कृषि, ऋण और गैर-ऋण) में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे, इस प्रकार उन्हें बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (बहू-उद्देशीय पैक्स) में परिवर्तित कर देंगे। मॉडल उपनियमों के अनुसार पैक्स द्वारा की जा सकने वाली कुछ सांकेतिक व्यावसायिक गतिविधियाँ इस प्रकार हैं: अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण, उर्वरक और कीटनाशक वितरण, बीज वितरण, मत्स्य पालन / डेयरी / मुर्गी पालन गतिविधियाँ, कृषि मशीनरी / कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली / झींगा खेती, चिकन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न की खरीद, संग्रह, ग्रेडिंग, सफाई गतिविधियाँ, पैकेजिंग से संबंधित गतिविधियाँ, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, भंडारण सुविधा (वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज), सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा, उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी / पेट्रोल / डीजल डीलरशिप, बैंक मित्र /

व्यावसायिक पत्राचार, बीमा सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर / डेटा सेंटर, लॉकर सुविधा आदि। यह देश में कृषि के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

मॉडल उपनियमों में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं और कानूनी तथा प्रशासनिक संरचना, पैक्स के संचालन के क्षेत्र के विस्तार से संबंधित आवश्यक प्रावधान शामिल हैं; ऋण पोर्टफोलियो में विविधीकरण; लंबी अवधि के ऋण का प्रावधान; व्यापार से संबंधित सेवाओं में विस्तार; सदस्यता संबंधी प्रावधान; निदेशक मंडल (बीओडी), सामान्य निकाय और प्रबंधन संबंधी प्रावधान; लेखापरीक्षा आदि को शामिल किया गया है। वे पैक्स को एक सक्षम कानूनी और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करेंगे ताकि उनके लिए बेहतर शासन, व्यवहार्य व्यवसाय संचालन और कुशल कार्य पद्धति उपलब्ध हो सके, इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहु-सेवा केंद्र और एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य किया जा सके।

मॉडल उपनियमों को पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके तहत मॉडल उपनियमों में उल्लिखित सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करते हुए एक एकल ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। पैक्स को समर्थन प्रदान करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्राम सभा / सरकारी भूमि उपलब्ध कराने, उचित मूल्य की दुकान (FPS) के लिए लाइसेंस और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद के लिए पैक्स को एजेंसी के रूप नामित करने आदि के संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है। ये मॉडल उपनियम केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और संबंधित पैक्स अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त संशोधनों के बाद उन्हें अपना सकते हैं।

दैनिक श्रमबिन्दु | 14/01/2023 | Page No. 4, Circulation: 17,183

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ...

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

• ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਵੀ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਦਿ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1904 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 1912 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਾਲ 1935 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 19164 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3953 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ (387) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (305), ਸੰਗਰੂਰ (287), ਪਟਿਆਲਾ (282), ਜਲੰਧਰ (250), ਬਠਿੰਡਾ (202) ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (202) 'ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ (8), ਸੰਗਰੂਰ (8) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (7) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਾਭ 'ਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 10.93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.62 (33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। •

ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Title: Computerization of PACS & Model Bye Laws of PACS
Newspaper: Punjabi Tribune | 16/01/2023, Circulation :19158

Prosperity through Co-operation

Transforming Primary Agricultural Credit Societies through model bye-laws

Dr N Ranjana Devi

Who dreams of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the villages undertaking more than 25 business activities which inter alia include dairy, fishery, setting up of godowns, procurement of food grains, fertilizers, seeds, LPG/CNG/Petrol/ Diesel distributorship, short-term and long term credit, custom hiring centres, common service centres, Fair Price Shops (FPS), community irrigation, Business Correspondent activities, Common Service Centre, etc.

Primary Agricultural Credit Societies has been playing an important role in sustaining the rural economy of the country by providing short term and medium term credit to the farmers. There are more than 95,000 Primary Agricultural Societies (PACS), 352 District Central Cooperative Banks (DCCBs) and 34 State Cooperative Banks (SCBs) in our country. The PACS at the grassroot level has a total membership of 13.12 crore farmers across the length and breadth of the country.

However income generated from the credit business alone is not sufficient to sustain the operations of the PACS. Presently, the economic activities undertaken by PACS are restricted by their respective bye-laws, which in most cases, are decades old and need to be revised. These societies are expected to cater to the needs of the farmer member in respect of credit, input, fertilizers, warehousing, marketing, agro service, processing etc. However, due to lack of resources, restricted provi- sions in their bye-laws, lack of awareness, lack of professional approach and many other factors the PACS are still not in a position to provide required services to their members effectively inspite of their existence at the village level.

As an aggressive initiative to increase the viability of PACS and diversify their business activities to make them vibrant economic entities at village level, a committee with representatives of NABARD, State Cooperative Banks, Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management (VAMNICOM), National Council for Cooperative Training (NCCT) etc. was formed by the Ministry of Co-operation, Government of India to prepare draft model bye-laws for PACS. The draft model bye-laws were circulated to all the States/Union Territories, Ministries, Departments concerned in Government of India, NABARD, NAFSCOB, State Cooperative Banks, District Cooperative Banks etc. on 1st July, 2022 for their suggestions/inputs. More than 1500 suggestions were received by the committee from all the stakeholders, which were suitably incorporated in finalizing the model byelaws and circulated to all concerned Secretary (Co-operation) and RCS of all States and Union Territories for needful action.

The model byelaws will enable PACS to diversify their business activities into than 25 sectors (agriculture & non-agriculture, credit and non-credit), thus converting them into Multi-Purpose Primary Agricultural Credit Societies (Bahu-Uddeshiye PACS). Some of the indicative business activities which can be taken up by PACS as per the model byelaws are: short-term, medium-term and long-term credit, fertilizer and pesticide distribution, seed distribution, fisheries/ dairy/poultry activities, farm machineries/implements, custom hiring centers, floriculture, beekeeping, fish/ shrimp farming, chicken, sheep, goat, pig farming, silk production, milk production, procurement of food grains, collection, grading, cleaning activities, activities related to packaging, branding and marketing of agricultural products, agriculture product processing, storage facility (warehouse and cold storage), community centre, hospital, education, fair price shops, LPG/petrol/diesel dealership, Bank Mitra/ Business Correspondence, insurance facility, common service centre/data centre, locker facility, etc. This will contribute significantly in comprehensive development of agriculture in the country.

The Model Byelaws contain the best practices from across the States/UTs and necessary provisions related to legal and administrative structure, expansion of area of operation of PACS; diversification in the loan portfolio; provision of long-term loans; expansion in business related services; membership related provisions; Board of Directors (BoD), General Body and Management related provisions; audit, etc. have been incorporated. They would provide an enabling legal and administrative framework to PACS in order for them to have improved governance, viable business operations and efficient functioning, thus serving as multi-service centres and single window agencies catering to the needs of member farmers in rural areas.

The model byelaws will also be dovetailed with the Computerization of PACS project, under which a single ERP based software is being developed covering all the business activities mentioned in the model byelaws. In order to provide support to the PACS such as providing Gram Sabha/Government land for infrastructure development, Fair Price Shops (FPS) licenses and designating PACS as agency for procurement of food grains at Minimum Support Price (MSP), a communication has already been sent by Union Minister of Cooperation to all the Chief Ministers of States and Union Territories. These Model Byelaws are only indicative in nature and PACS concerned may adopt them after suitable modifications as per their respective State Cooperative Acts.

The Co-operative movement in India with 8.5 lakh cooperatives with more than 29 crore members is the largest suited model for fighting against collective social change. It is a model that exemplifies Atmanirbharta in thought and in action in agriculture and allied sectors, handloom, processing, consumers, fisheries, production and fertilizer distribution, marketing, dairy etc. With the historic creation of a separate Ministry of Co-operation under the leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi realizing the vision of 'Sahakar se Samriddhi' (prosperity through Co-operatives) is an opportunity before us to create India a self-sustained co-operative based economic development model. Co-operative is the only instrument through which inclusive economic growth can be achieved by involving the poorest person at the village level. The Primary Agricultural Credit Societies are the backbone of agricultural credit system. With the adoption of Draft Model Bye laws by the PACS, ample business opportunities will be created by expanding activities.

Status of Primary Agricultural Credit Co-operatives in Manipur

According to the Annual Administrative Report 2021-22 of the Department of Cooperation, Government of Manipur, there are 12394 Co-operative Societies with a membership of 667708 in Manipur. There are 271 Agricultural Credit Cooperatives, 151 GPLMPCS, with 55350 members in the Valley, 104 Large Area Multipurpose Societies with 58934 members in the Hill Region and 16 Service Co-operatives with 250 members and total membership reaching 114534 farmers in the State. According to a recent study conducted during 2021 by the Co-operative Affairs Sub-committee constituted by Board of Management of the Manipur State Co-operative Bank to identify the issues in the PACS, more than 95% of the respondents from the selected PACS expressed about the non-availability of credit and other services from their respective PACS. During 2019-20, the average paid up share and working per society remained at Rs 1.79 lakh and 2.59 lakh respectively, which is quite inadequate to perform any kind of economic activity to help the members.

The Manipur State Co-operative Bank Ltd., which was established on 24th June, 1956 and registered on 2nd July, 1956 under the then Manipur Co-operative Societies Act, 1947 has undergone various ups and downs in its journey of 66 years in providing the credit to the cooperative members.

The Bank in the recent years with the full support from the State Government as well as NABARD RO, Manipur and the Board of Management of the Bank already started gearing up its activities by providing credit and other facilities to PACS through KCC and by forming JLGS & SHGs for taking up different activities in agriculture, fisheries, animal husbandry, dairy, livestock etc.

Strengthening of Primary Agricultural Co-operatives (PACS) will fulfill the vision for bringing inclusive economic growth by involving the grassroot level farmers who are socially and economically backward. Subsequent to various policies and schemes being created by the Ministry of Co-operation, Government of India, the opportunity before us is to fit the model bye-laws with local requirements and suitable modifications to provide the best services to the PACS members.

Creating awareness amongst the members and also potential member of PACS through awareness campaigns, sensitization programmes, seminars,, education & training is the need of the hour so as to enable them to grab the opportunities before them through the Cooperative Movement in the true spirit.

The writer is Sr. Consultant, NCCT, New Delhi

The Sangai Express | 17/01/2023 | Page No. 4 by Dr. N Ranjana Devi, Sr. Consultant, NCCT Circulation: 21311

പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകീകരിക്കും

പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാസഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ ബൈലോയുമായി കേന്ദ്രം

ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഡെയറി, ഫിഷറീസ്, പുഷ്പക്കൃഷി, ഗോഡൗൺ സ്ഥാപിക്കൽ, കാർഷിക-ഭക്ഷ്യസാധങ്ങളുടെ സംഭരണം, വളം-വിത്ത് വിതരണം, ഇന്ധന വിതരണ ഏജൻസി തുടങ്ങൽ, ഹ്രസ്വ-ദീർഘ കാല വായ്പകൾ, പൊതുസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ന്യായവില ഷോപ്പുകൾ, ഗ്രാമീണ ജലസേചനപദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ.

ബിജു പരവത്ത്
തിരുവനന്തപുരം

▸ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം ഏകീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതിനായി പൊതു ബൈലോ കൊണ്ടുവരും. കരട് തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് അഭിപ്രായവും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണത്തിന് പൊതു സോഫ്റ്റ്‌വേറും നടപ്പാക്കും.

25 മേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി ഇത്തരം സംഘങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാകുക. ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനം പരിമിതപ്പെടുത്തും. പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ നടപടി ഇവയുടെ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കും.

പ്രാഥമിക കാർഷികവായ്പാ സംഘത്തെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് പൊതുബൈലോ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പറയുന്നത്. പ്രാഥമിക സഹകരണബാങ്കുകൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനം ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് എന്ന നിലയിലാകും.

ഇതോടെ കേരള ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് ഏജന്റായി പ്രാഥമിക സഹകരണബാങ്കുകൾ മാറും. പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നതോടെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ 'ബാങ്ക്' എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തടയാനാകും. കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന കാർഷിക സബ്സിഡി വിതരണം, വിള ഇൻഷുറൻസ്, നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ വിതരണം എന്നിവയുടെ 'ഡെലിവറി പോയന്റ്' ആയി സംഘങ്ങളെ മാറ്റുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ പൊതുബൈലോ സ്വീകരിക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Title : "Activities of Primary Cooperative Societies will be unified "
Article on Common bylaw of PACS by Biju Paravath
Newspaper : Matrubhoomi Daily | 17/01/2023 | Page No. 7 Circulation: 11,06,000

Bahu-Uddeshiye PACS: Will it uplift the face of rural India?

VNC Media: 18, Jan. 2023

Dr. Kritika Rana
Faculty, RICM-Chandigarh

Chandigarh: Recently the Ministry of Cooperation has released a draft of the model bylaws for PACS (Primary Agricultural Credit Societies), wherein the PACS will be allowed to expand and diversify their businesses. A Primary Agricultural Credit Society (PACS) works at the grassroot level with gram panchayats in villages.

It aims at uplifting the lives of approximately 13 crore Small and Marginal Farmers (SMF) by providing them with short-term and medium-term credit facility along with providing essential agricultural supplies and marketing services.

The PACS do not stop at these, but also fulfils basic domestic requirements of its members by providing sugar, kerosene, grains, etc. But these commercial activities of PACS are constrained by the existing bylaws, many of which are decades old and require revision and because of this, PACS cannot continue to run profitably by earning income from these limited sources. Thus, in order to address this issue and to transform the 95000 PACS across India into vibrant economic entities, the Ministry of Cooperation under the leadership of

Honourable Minister Mr. Amit Shah constituted a committee with representatives from NABARD, State Cooperative Banks, Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management (VAMNICOM), National Council for Cooperative Training (NCCT), among others to prepare and upgrade the bylaws for PACS.

These updated bylaws, also known as model bylaws, will focus on converting the present style PACS into Multi-Purpose Primary Agricultural Credit Societies or Bahu-Uddeshiye PACS by enabling them to diversify and branch out their businesses into more than 25 sectors. These sectors encompass various activities such as extending credit facility (short, medium and long term); distributing fertilizers, pesticides, seeds, etc.; fisheries, dairy, poultry, fish/shrimp farming, and farming of all types of farm animals such as chicken, sheep, goat, pig, etc.; providing farm machinery and equipment; custom hiring centres; floriculture; beekeeping; silk production; production, collection, grading, cleaning, packaging, branding and marketing of all types of agricultural products; food processing; storage facility including cold storage and warehouses; community centres, among others.

The Ministry of Cooperation has further expanded its vision to include hospitals, education sector, LPG/petrol/diesel dealership, Bank Mitra or business correspondence, insurance facility, data centre, locker facility, etc. under the ambit of new age PACS. Furthermore, the Ministry has decided to computerise the PACS using a common software which will standardise the functioning of PACS on a national level, consequently, bringing in transparency and efficiency in its operations.

Therefore, these Bahu-Uddeshiye PACS will metamorphose the rural India by functioning as a single-window and multi-service agency, ultimately, contributing towards the comprehensive development of agriculture and rural economy in India.

Title : "Bahu-Uddeshiye PACS: Will it uplift the face of rural India?
Published by Dr. Kritika Rana, Faculty, RICM Chandigarh, Published in VNC Media Chandigarh 18.01.2023

Organizing the unorganized structure of small and medium scale farming business by co-operatives model by-laws

THE AMAN SANDESH TIMES

Chandigarh: According to cooperative model By-laws small and medium scale farmers will have ample advantages in order to grow their businesses. There are myriad ways through which they can work in more structured way and can become an inclusive part of capital formation of the Indian economy. The new co-operative by-laws explain that how farmers can make their societies and can avail the benefits of 'A' and 'B' class of memberships.

ELIGIBILITY FOR 'A' CLASS MEMBERSHIP:

The following persons, subject to fulfillment of the eligibility condition, shall be A-Class Members:

a) The promoters at the time of registration of Society;

b) An Individual who, i) is competent to contract under the provision of Section 11 of the Indian Contract Act 1872 (above 18 years of age, having a sound mind and not debarred by any Law) and ii) possesses agricultural land or land for allied agricultural activities or rearing domestic cattle in the area of operation of the Society;

c) Is not a member of any other PACS in any other Panchayat/ Village; (If there is no PACS in the Panchayat/ Village, the members can avail benefits of the nearby PACS after approval of the Registrar)

d) State Government or any other Government Body;

(3) ELIGIBILITY AND OTHER CONDITIONS FOR 'B'-CLASS MEMBERSHIP:

a) A person who desires to have a business relationship with Society shall be admitted as nominal member by payment of admission fee of Rs.10/- which is non-refundable and shall be credited to Reserve Fund of the Society.

b) Self Help Groups/ Joint Liability Groups/ Farmers Interest Groups, Tenant farmers, sharecroppers, oral lessees or users of land, agricultural allied activities shall be admitted as nominal members of the Society.

c) Any organization registered under any Act in India (or) abroad shall be admitted as nominal member for business purpose only.

d) Nominal Members shall have no right to attend any meeting or to vote in the affairs of the Society and will not be entitled for dividend from the Society.

e) Nominal members cannot contest in election for the member of the Board of Directors in the Society.

f) A Nominal member who is indebted to the Society either in his personal capacity or as surety or guarantor shall continue to be such member so long as the liability to the Society has not been fully discharged.

g) No share certificate shall be issued to nominal members but separate Register shall be maintained in the Society, which shall contain his signature and full address as proof of his membership.

Dr. R K Sharma – Director (RICM, Chd.)

Vanshika Bhardwaj – Faculty ((RICM, Chd. Sec.32-C Chandigarh)

Title: Organising the Unorganised structure of small and medium scale farming business by cooperatives model by-laws
Newspaper : Aman Sandesh Times Chandigarh | 18/01/2023 |

सहकारिता की 'नटनियां' अब निकलेंगी अंधेरे कुएं से बाहर

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बनाईं आदर्श उप विधियां, विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

(नीलमेघ चतुर्वेदी)

इंदौर, 17 जनवरी. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. विधिक प्रावधानों के चलते पेक्स अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियाँ करेंगी.

दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएँ अत्यल्प लार्भाजन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती है. इनमें मध्यप्रदेश की चार हजार से अधिक पेक्स शामिल हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य. केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी.

पेक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लॉन बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकीं. इसका प्रभाव भी ग्रामीण विकास गतिविधियों और सहकारी आंदोलन के संबंधों की मजबूती पर देखने में आया.

केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव चाहे.

समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पेक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद चाहा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाईयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पेक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है.

पेक्स बहुउद्देशीय नए अवतार में

आदर्श उपनियमों के जरिए पेक्स बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सेर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियाँ संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यअर्हित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की ब्रिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं. अभी तक पेक्स केवल अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज ही दे सकती थीं. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रूख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

सहकारी नटनी क्यों...?

ग्रामीण क्षेत्रों में बॉस-बल्लियों के जरिए लोक कलाकार नटनियाँ करतब बताते देखी जाती हैं. ये पतली डोर पर चलती हैं और हानि होने की आशंका बनी रहती है. इसी प्रकार सहकारी नटनियाँ यानी पेक्स भी लाभार्जन की पतली डोर पर संचालित हो लार्भाजन के करतब दिखाया करती हैं. पेक्स की स्थितियों से परिचित अनेक ग्रामीणजन इन्हें सहकारी नटनियाँ कहते हैं.

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist

Newspaper : Nav Bharat, Indore | 18/01/2023 | Page No. 1 Circulation : 1,24,541

सहकारिता की 'नटनियां' अब निकलेंगी अंधेरे कुएं से बाहर

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बनाईं आदर्श उप विधियां, विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

(नीलमेघ चतुर्वेदी)

इंदौर, 17 जनवरी. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. विधिक प्रावधानों के चलते पेक्स अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियाँ करेंगी.

दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएँ अत्यल्प लार्भाजन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती है. इनमें मध्यप्रदेश की चार हजार से अधिक पेक्स शामिल हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य. केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी.

पेक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लॉन बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकीं. इसका प्रभाव भी ग्रामीण विकास गतिविधियों और सहकारी आंदोलन के संबंधों की मजबूती पर देखने में आया.

केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव चाहे.

समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पेक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद चाहा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाईयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पेक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है.

पेक्स बहुउद्देश्यीय नए अवतार में

आदर्श उपनियमों के जरिए पेक्स बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सेर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियाँ संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यअर्हित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की ब्रिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं. अभी तक पेक्स केवल अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज ही दे सकती थीं. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रूख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

सहकारी नटनी क्यों...?

ग्रामीण क्षेत्रों में बॉस-बल्लियों के जरिए लोक कलाकार नटनियाँ करतब बताते देखी जाती हैं. ये पतली डोर पर चलती हैं और हानि होने की आशंका बनी रहती है. इसी प्रकार सहकारी नटनियाँ यानी पेक्स भी लाभार्जन की पतली डोर पर संचालित हो लार्भाजन के करतब दिखाया करती हैं. पेक्स की स्थितियों से परिचित अनेक ग्रामीणजन इन्हें सहकारी नटनियाँ कहते हैं.

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Satna | 18/01/2023 | Page No. 1 Circulation: 45,300

सहकारिता की 'नटनियां' अब निकलेंगी अंधेरे कुएं से बाहर

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बनाईं आदर्श उप विधियां, विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

(नीलमेघ चतुर्वेदी)

इंदौर, 17 जनवरी. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. विधिक प्रावधानों के चलते पेक्स अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियाँ करेंगी.

दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएँ अत्यल्प लार्भाजन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती है. इनमें मध्यप्रदेश की चार हजार से अधिक पेक्स शामिल हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य. केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी.

पेक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लॉन बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकीं. इसका प्रभाव भी ग्रामीण विकास गतिविधियों और सहकारी आंदोलन के संबंधों की मजबूती पर देखने में आया.

केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव चाहे.

समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पेक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद चाहा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाईयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पेक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है.

पेक्स बहुउद्देश्यीय नए अवतार में

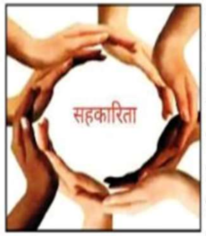

आदर्श उपनियमों के जरिए पेक्स बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सेर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियाँ संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यअर्हित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की ब्रिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं. अभी तक पेक्स केवल अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज ही दे सकती थीं. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रूख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

सहकारी नटनी क्यों...?

ग्रामीण क्षेत्रों में बॉस-बल्लियों के जरिए लोक कलाकार नटनियाँ करतब बताते देखी जाती हैं. ये पतली डोर पर चलती हैं और हानि होने की आशंका बनी रहती है. इसी प्रकार सहकारी नटनियाँ यानी पेक्स भी लाभार्जन की पतली डोर पर संचालित हो लार्भाजन के करतब दिखाया करती हैं. पेक्स की स्थितियों से परिचित अनेक ग्रामीणजन इन्हें सहकारी नटनियाँ कहते हैं.

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Gwalior | 18/01/2023 | Page No. 1 Circulation: 1,09,949

सहकारिता की 'नटनियां' अब निकलेंगी अंधेरे कुएं से बाहर

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बनाईं आदर्श उप विधियां, विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

(नीलमेघ चतुर्वेदी)

इंदौर, 17 जनवरी. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. विधिक प्रावधानों के चलते पेक्स अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियाँ करेंगी.

दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएँ अत्यल्प लार्भाजन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती है. इनमें मध्यप्रदेश की चार हजार से अधिक पेक्स शामिल हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य. केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी.

पेक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लॉन बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकीं. इसका प्रभाव भी ग्रामीण विकास गतिविधियों और सहकारी आंदोलन के संबंधों की मजबूती पर देखने में आया.

केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव चाहे.

समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पेक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद चाहा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाईयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पेक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है.

पेक्स बहुउद्देश्यीय नए अवतार में

आदर्श उपनियमों के जरिए पेक्स बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सेर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियाँ संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यअर्हित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की ब्रिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं. अभी तक पेक्स केवल अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज ही दे सकती थीं. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रूख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

सहकारी नटनी क्यों...?

ग्रामीण क्षेत्रों में बाँस-बल्लियों के जरिए लोक कलाकार नटनियाँ करतब बताते देखी जाती हैं. ये पतली डोर पर चलती हैं और हानि होने की आशंका बनी रहती है. इसी प्रकार सहकारी नटनियाँ यानी पेक्स भी लाभार्जन की पतली डोर पर संचालित हो लार्भाजन के करतब दिखाया करती हैं. पेक्स की स्थितियों से परिचित अनेक ग्रामीणजन इन्हें सहकारी नटनियाँ कहते हैं.

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Jabalpur | 18/01/2023 | Page No. 1 Circulation: 1,52,798

सहकारिता की 'नटनियां' अब निकलेंगी अंधेरे कुएं से बाहर

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बनाईं आदर्श उप विधियां, विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

(नीलमेघ चतुर्वेदी)

इंदौर, 17 जनवरी. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. विधिक प्रावधानों के चलते पेक्स अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियाँ करेंगी.

दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएँ अत्यल्प लाभाजन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती है. इनमें मध्यप्रदेश की चार हजार से अधिक पेक्स शामिल हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य. केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी.

पेक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लॉन बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकीं. इसका प्रभाव भी ग्रामीण विकास गतिविधियों और सहकारी आंदोलन के संबंधों की मजबूती पर देखने में आया.

केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव चाहे.

समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पेक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद चाहा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाईयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पेक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है.

पेक्स बहुउद्देश्यीय नए अवतार में

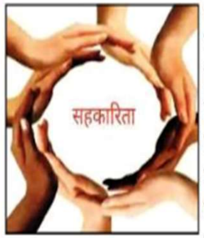

आदर्श उपनियमों के जरिए पेक्स बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सेर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियाँ संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यअर्हित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की ब्रिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं. अभी तक पेक्स केवल अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज ही दे सकती थीं. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रूख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

सहकारी नटनी क्यों...?

ग्रामीण क्षेत्रों में बाँस-बल्लियों के जरिए लोक कलाकार नटनियाँ करतब बताते देखी जाती हैं. ये पतली डोर पर चलती हैं और हानि होने की आशंका बनी रहती है. इसी प्रकार सहकारी नटनियाँ यानी पेक्स भी लाभार्जन की पतली डोर पर संचालित हो लार्भाजन के करतब दिखाया करती हैं. पेक्स की स्थितियों से परिचित अनेक ग्रामीणजन इन्हें सहकारी नटनियाँ कहते हैं.

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Chindwara | 18/01/2023 | Page No. 1 Circulation : 43,371

सहकारिता की 'नटनियां' अब निकलेंगी अंधेरे कुएं से बाहर

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने बनाईं आदर्श उप विधियां, विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

(नीलमेघ चतुर्वेदी)

इंदौर, 17 जनवरी. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. विधिक प्रावधानों के चलते पेक्स अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियाँ करेंगी.

दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएँ अत्यल्प लार्भाजन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती है. इनमें मध्यप्रदेश की चार हजार से अधिक पेक्स शामिल हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य. केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी.

पेक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लॉन बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकीं. इसका प्रभाव भी ग्रामीण विकास गतिविधियों और सहकारी आंदोलन के संबंधों की मजबूती पर देखने में आया.

केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव चाहे.

समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पेक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद चाहा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाईयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पेक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है.

पेक्स बहुउद्देश्यीय नए अवतार में

आदर्श उपनियमों के जरिए पेक्स बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सेर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियाँ संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यअर्हित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की ब्रिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं. अभी तक पेक्स केवल अल्पावधि और मध्यमावधि कर्ज ही दे सकती थीं. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रूख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

सहकारी नटनी क्यों... ?

ग्रामीण क्षेत्रों में बाँस-बल्लियों के जरिए लोक कलाकार नटनियाँ करतब बताते देखी जाती हैं. ये पतली डोर पर चलती हैं और हानि होने की आशंका बनी रहती है. इसी प्रकार सहकारी नटनियाँ यानी पेक्स भी लाभार्जन की पतली डोर पर संचालित हो लार्भाजन के करतब दिखाया करती हैं. पेक्स की स्थितियों से परिचित अनेक ग्रामीणजन इन्हें सहकारी नटनियाँ कहते हैं.

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Bhopal | 18/01/2023 | Page No. 1 Circulation: 1,47,919

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୮ ଜାନୁଆରୀ - ୨୦୨୩ | ଉତ୍କଳ ମେଲ | ପୃଷ୍ଠା-୫

ସମବାୟ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ

ଆଦର୍ଶ ଉପଲବ୍ଧି-ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ

ସମବାୟରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ

ଜାତୀୟସ୍ତର ବହୁରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବିହନ ସମିତି-ଏକ ଅବଲୋକନ

ସମବାୟରେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତିର ଅନୁଚିନ୍ତନ

ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡିକର କମ୍ପୁଟରୀକରଣ

ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି

ବହୁ-ରାଜ୍ୟ ରପ୍ତାନି ସମବାୟ ସମିତି – ଏକ ଅବଲୋକନ

ସମବାୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତି

ବହୁ-ରାଜ୍ୟ ଜୈବିକ ସମବାୟ ସମିତ –ଏକ ଅବଲୋକନ

ସୌଜନ୍ୟ:- ମଧୁସୂଦନ ସମବାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ୟୁନିଟ-୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Newspaper: Utkal Mail

Date 18.1.2023

Page 5 (Full page) containing 5 articles contributed by ICM Bhubaneswar including Model bye laws for PACS

Circulation: 1,53,588

‘किसानों के जीवन स्तर में सुधार ही पैक्स का उद्देश्य’

संवाद सहयोगी, दातारपुर : दातारपुर में द उन्नति को आपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड के एमडी ज्योति स्वरूप ने दैनिक जागरण के साथ चर्चा करते हुए कहा कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स (प्राथमिक कृषि साख समितियों) के लिए माडल उपनियमों का एक मसौदा जारी किया है। जो पैक्स को अपने व्यवसायों का विस्तार और विविधता लाने की अनुमति देगा।

ज्योति स्वरूप • जागरण

उन्होंने बताया कि पैक्स गांवों में जमीनी स्तर पर काम करती है। इसका उद्देश्य लगभग 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को अल्पकालिक और मध्यम अवधि की ऋण सुविधाओं के साथ-साथ आवश्यक कृषि आपूर्ति और विपणन सेवाएं प्रदान करके उनका उत्थान करना है। यहीं नहीं पैक्स चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराकर अपने सदस्यों की बुनियादी घरेलू जरूरतों को भी पूरा करता है लेकिन पैक्स की यह व्यावसायिक गतिविधियां प्रासंगिक उप-कानूनों द्वारा सीमित हैं। जिनमें से कई तो दशकों पुराने हैं और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस कारण पैक्स इन सीमित स्रोतों से आय अर्जित करके लाभप्रद रूप से काम करना जारी नहीं रख पाते हैं।

पूरे भारत में 95,000 पैक्स की स्थापना करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता नेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति गठित की है। जो सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनिकाम), सहकारी प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीसीटी) के सहयोग से पैक्स के लिए उप-कानून तैयार करेगी। यह पैक्स की मौजूदा शैली को बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या बहुउद्देश्यीय पीएसीएस में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें विविधीकरण और शाखाकरण को सक्षम करके अपना व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि ऋण सुविधाएं प्रदान करना (लघु, मध्यम और दीर्घकालिक), उर्वरकों, कीटनाशकों, बीजों आदि का वितरण आदि। ज्योति स्वरूप ने कहा इसके अलावा मंत्रालय ने एक सामान्य साफ्टवेयर का उपयोग करके पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर पैक्स के कामकाज को मानकीकृत करेगा। जिससे इसके संचालन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। इससे यह बहुसेवा एजेंसी के रूप में कार्य करके ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देंगे।

Title: "किसानों के जीवन स्तर में सुधार ही पेक्स का उद्देश्य

संपादकीय प्रकाशन

Published in Jagran, Chandigarh on 19.01.2023

সঙাই এক্সপ্রেস

MANIPUR'S LARGEST CIRCULATED MANIPURI DAILY

www.thesangaiexpress.com

মার্চ ২ দা পুল্লপ ওইনা মশীং থীগনি

পোপিঃ ফোরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকি অখন্নবা ওপরেসনশিং হৌখ্রে

মোদেল বাইলো চৎনহন্দুনা মণিপুরদা PACS অসি তুংকোইনা অমদি মপাঙ্গল কন্না হীংহনবা

কেঐচ রাঙামলিয়ান আইমোল

দিরেক্টর (ইন–চার্জ), আইসিএম, ইম্ফাল

ভারততা লৈরিবা চাউরাক্লা Primary Agricultural Credit Societies (PACS) ৯৫০০০ অসি নবার্দ (NABARD) কী মথাদা শেছ্‌ং পীরি। হায়রিবা শেছ্‌ং অসি 352 District Central Co-operative Banks (DCCBs) অমদি 34 State Co-operative Banks (StCBs) গী খুথাংদা পীবনি। মসিদা লৌমী ক্রোর ১৩.১২ নসু মেম্বর ওইরিবনি। মণিপুরদসু টু টয়ার কো–ওপরেটিব ষ্ট্রকচর লৈরি। দ মণিপুর ষ্টেট কো–ওপরেটিব বেঙ্ক লিমিটেদ অসিনা এপেক্স লেভেলদা অদুগা পেক্স (PACS) খুদম ওইনা গ্রাম পঞ্চায়েট লেভেল মল্টিপর্পোস কো–ওপরেটিব সোসাইটি লিমিটেদ/ লার্জ এরিয়া মল্টিপর্পোস কো–ওপরেটিব সোসাইটি লিমিটেদ অসিনা খুঙ্গংগী লেভেলদা লৈরি। মণিপুরদা চাউরাক্লা পেক্স ২৫৫ লৈরি (151 Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Soceities Valley District শিংদা অমদি 104 LAMPS Hill District শিংদা) 31st March 2022 ফাওবদা।(as per Annual Administrative Report 2021-22, Dept. of Cooperation, Govt. of Manipur)। ভারতকী খুঙ্গংগী শেন থুমগী ফিভম অসিবু ফগৎহনবদা PACS অসিনা য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং লৌবীরি। মসিদা Short Term & Medium Term শেছ্‌ং লৌমীশিংদা পীথরি। তৌবতবু হায়রিবা শেনথং অসি খক্তনদি PACS অসিবু মতম শাংনা হীংনবগীদমকদমক হোংনবদা কোম্নদবা অমদি অৱাবা মায়োক্নরি।

হৌজিক–হৌজিক PACS না পায়খৎলিবা Economic Activities শিং অসি Respective Byelaws অসিগী মখাদনি। হায়রিবা Byelaws অসি য়াম্না লিরবা ওইবনা নৌনা Revised Byelaws দরকার ওইরি। হায়রিবা Model Byelaws অসিনা PACS শিংনা হেন্না অমদি হীরম অতোপ্পা কয়াদা হায়বদি অতোপ্পা 25 Sectors (agriculture & non-agriculture, credit and non- credit), অসুম্না Multipurpose Primary Agricultural Credit Societies ওইহল্লকপা ঙমগনি। Model Byelaws গী মখাদা PACS না পায়খৎপা য়াবা Business Activities শিং অদুদি– (short -term, medium -term and long-term credit, fertilizer and pesticide distribution, custom, hiring centres, floriculture, beekeeping, fish/ shrimp farming, chicken, sheep, goat, pig farming, silk production, milk production, procurement of food grains, collection, grading, cleaning activities, activities related to packaging, branding and marketing of Agricultural product, agricltural product processing, storage facility (ware house & cold storage), community centre, hospital, education, fare price shop, LPG / Petrol/Diesel dealership, Bank Mitra/ Business Correspondence, insurance facility, common service centre/ data centre, locker facility, etc.) Model Byelaws দা য়াওরিবা অসি States/UTs পুম্নমক্কী খ্বাইদগী অফবা Best practices য়াওগনি।

মসিগী মথক্তা দরকার ওইবা Legal অমদি Administrative structure, expansion of area of operation of PACS, diversification in the loan portfolio, provision of long term loans, expansion in business, related services, membership related provisions, audit etc. শিং অসি য়াওগনি। মসিগী মথক্তা PACS কী Project শিং অসি Computerized তৌহনবা অমদি ERP based software নচিংবা শীজিন্নদুনা Model Byelaws দা পল্লিবা PACS কী Business Activities খুদিংমক য়াওগনি। PACS পু মতেং পাংনবগীদমক Gram Sabha/ Government land শিং অসি শেমগৎ –শাগৎপা, Fare Price Shops (FPS) Lecnese অমদি PACS Agency শিং অসি Food grains নচিংবা Minimum Support Price (MSP) Price তা ফংহনবা। মসিগী Model Byelaws অসি Hon'ble Minister of Cooperation না States অমদি UTs খুদিংমক্কী Chief Minister দা থংহনখ্রবনি। হায়রিবা Model Byelaws অসি 13 Chapter থোক্না খায়দোক্লি। অদুবু হায়রিবা concerned PACS শিং অসিনা মাগী মাগী State Cooperative Acts কী মখাদা চাম্নবা য়েংলগা শেমদোকচবা য়াগনি।

Name of the Newspaper: The Sangai Express
Date: 19-01-2023
Page No: 7
Title: Sustaining of PACS through implementation of Model Byelaws in the State of Manipur
Author: Shri Khoichung Rangamlian, Director (i/c), ICM, Imphal

TRUTH Conquers ALL

Hills Hornbill Express

Veritas Vincit

THURSDAY 19 JANUARY 2023 | PAGES : 2 | RS. 4/-

NSCN-IM asserts Nagas do not acknowledge any agreements signed under the Indian constitution

DSA, Senapati organise 1st District Level Golden Baby Football League

ECI announces assembly elections dates for Meghalaya, Nagaland & Tripura: polling to be held in one phase in

2 HILLS HORNBILL EXPRESS

Sustaining of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) through implementation of Model Byelaws in the state of Manipur

Shri Kh Rangamlian Aimol
Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

There are nearly 95,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in the country which are refinanced by NABARD through 352 District Central Cooperative Banks (DCCBs) and 34 State Cooperative Banks (StCBs), with 13.12 crore farmers as members. In Manipur, two tier cooperative structures are in place with The Manipur State Cooperative Bank Ltd. at the apex level and PACS i.e., Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies Ltd/Large Area Multipurpose Cooperative Societies Ltd at village level. There are 255 nos PACS in the State (151Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies in the valley districts and 104 LAMPS in the hill districts) as on 31st March, 2022 *(as per Annual Administrative Report 2021 -22, Dept of Cooperation, Govt. of Manipur).*

PACS serve as a crucial link in sustaining the rural economy of the country by providing short-term and medium-term credit to farmers. However, income generated from these businesses alone is not sufficient to sustain the operation of PACS. Presently, the economic activities undertaken by PACS are restricted by their respective byelaws, which in most cases, are decades old and need to be revised. The model byelaws will enable PACS to diversify their business activities into than 25 sectors (agriculture & non-agriculture, credit and non-credit), thus converting them into Multi-Purpose Primary Agricultural Credit Societies. Some of the indicative business activities which can be taken up by PACS as per the model byelaws are: short-term, medium-term and long-term credit, fertilizer and pesticide distribution, seed distribution, fisheries/dairy/ poultry activities, farm machineries/implements, custom hiring centers, , floriculture, beekeeping, fish/ shrimp farming, chicken, sheep, goat, pig farming, silk production, milk production, procurement of food grains, collection, grading, cleaning activities, activities related to packaging, branding and marketing of agricultural products, agriculture product processing, storage facility (warehouse and cold storage), community centre, hospital, education, fair price shops, LPG/ petrol/ diesel dealership, Bank Mitra/ Business Correspondence, insurance facility, common service centre/data centre, locker facility, etc.

The Model Byelaws contain the best practices from across the States/UTs and necessary provisions related to legal and administrative structure, expansion of area of operation of PACS; diversification in the loan portfolio; provision of long-term loans; expansion in business related services; membership related provisions; Board of Directors (BoD), General Body & Management related provisions; audit, etc. have been incorporated. It will also be dovetailed with the Computerization of PACS project, under which a single ERP based software is being developed covering all the business activities mentioned in the model byelaws. In order to provide support to the PACS such as providing Gram Sabha/ Government land for infrastructure development, Fair Price Shops (FPS) licenses and designating PACS as agency for procurement of food grains at Minimum Support Price (MSP), a communication has already been sent by Hon'ble Minister of Cooperation to all the Chief Ministers of States and Union Territories. The model byelaw is classified into 13 chapters which are only indicative in nature and PACS concerned may adopt them after suitable modifications as per their respective State Cooperative Acts.

Manipur Congress president personally supports ST tag for

Incidence rate of

Imphal, 18th January:
The government of India had

Name of the Newspaper: Hills Hornbill Express
Date: 19-01-2023
Page No: 2
Title: Sustaining of PACS through Implementation of Model Byelaws in the State of Manipur
Author: Shri Kh. Rangamlian, (Director (i/c), ICM, Imphal

The Aizawl Post

RNI Regn. No. MIZMIZ/2003/12043 Postal Regn No. MZ9/58/2018-2020

VOL. XXII NO. 013 AIZAWL, NINGANI, JANUARY 19, 2023 A man: Thla khatah Rs. 200

HOSTEL MAMAWH TAN

Rainbow Hostel

India Open-ah Sindhu tlo lo Saina leh Sen chak

Centre-in AP-ah Dam lian siam tum

Pitbull-a'n YouTube-a 1B viewer nei tling video pali a nei ta

Central YMA hruaitute'n Bangladesh atanga raltlante tlawh

BSF-in dang mah se raltlan luh belh

Model Byelaws for PACs

Shri Kh Rangamlian Aimol
Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt. of India)

India ram chhungah hian Primary Agricultural Credit Societies (PACS) 95,000 dawn NABARD-in a re-financed (Pawisa a enkawl) District Central Cooperative Banks (DCCBs) 352 kaltlangin a nei a; State Cooperative Banks (StCBs) 34 lai mai 13:12 maktaduai loneitute member an ni.

PAC hi thingtlang ei leh bar thlun zawmtu pawimawh tak a ni a, loneitu te hnenah short – term & medium term a bâin a pe ṭhin a ni. Amaherawhchu, hetianga sum lakluh ringawt hi PAC hmalakna a tam a tawk lo va. Tunah hian PAC hmalaknate hi an danin a phuar a, a tam zawkah chuan kum 10-a upa te an ni a, ennawn agai an ni.

PAC Byelaws Model hian an sumdawnua hi sectors 25-ah an ṭhen sawm a. (Agri & non-agri, credit & non–credit ah te) hei hian Multi – Purpose Primary Agri Credit Societies-ah a let (siam) ta a sumdawnaa ṭhenkhat PAC in a hnuaia a lak theih te chu (Bye – laws) zulzui ang chuan: Short – term, Medium term leh long term credit te, lei ṭha leh rannung thahna hlo sem chhuah te, thlai chi sem te, sangha khawi/Vawkvulh te, Loneih te, Custom hire (Chhawr) te pangpar khawite, khuai te, Sangha & Kaikuang Khawite, Ar, Beram, Kel, Vawkvulk, Silk thar chhuah, Bawnghnute thar chhuah, Buh thar, lakkhawm, an ṭhat zawng tehna (Grading) thenfai hnate, packaging te, a brand siamte, loneihna lama thlai thar chhuahte hralhna a ngaihtuah leh a vawn thatna ngaihtuah (warehouse and cold storage) mipui pun khawmna, damdawi in, zirna, dawr te, LPG/Petrol & Diesel zawrh te, Bank mitra/ sumdawnnaah inbiak tawnna Insurance lam te, common service centre / data center/locker facility leh a dangte. Bye – laws model hian States/UTs-ah te tih dan a ṭha ber a keng tel a, dan leh inrelbawlna atana ṭul te, PAC huam chhung tih zau te, Loan bik ṭhen zau te, long term loan puk theihna te, Member-a inziah luh dan te. BoD, Gen. Body & Management kaihhnawih, endikna, (audit) te a keng tel vek a ni.

Khing bakah khian, PAC project ho computerised te, ERP based software te pawh duan mek a ni. FPS licenses leh PAC chu ei leh bar laluttu agency atan a ruat a, chu chu (MSP) angin a ni a. Hon'ble Minister of Cooperation hian States & Union Territories zawng zawng Chief Minister-te a hriattir tawh a ni.

Model Bye – Law hi Chapter 13 a ṭhensawm a ni a, a pianphungah PAC duh dan ang a ni tur a ni a, Model Bye-Laws hi siam ṭhat/Puitlin a nih hnuah state tin te Cooperation Acts-in a nih hnuah PAC tin te'n an hmang thei ang. A duh tan a hnuaia mi hi biak pawh tur a ni e. - **Director, ICM, Imphal, Lamphelpat.**

Name of New Paper: The Aizawl Post
Date: 19-01-2023
Page No.: 2
Title: Model Byelaws for PACS
Author: Shri kh. Rangamlian, Director (i/c), ICM, Imphal

MANIPUR STATE AH PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES (PACS) COMPUTERIZATION

Primary Agricultural Credit Societies (PACS) sukhat zawk semna ding ah Prime Minister Narendra Modi mapuina ah Cabinet Committee on Economic Affairs in 29 June, 2022 ah Primary Agricultural Credit Societies (PACS) computerized bawl ding ah approved a bawl dungzui in, Manipur ah **Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) project** chiapi ahi zing hi. Zia computerize thiltuppipen chu India gamsung ah PACS zosia computerize bawl ding leh nisin ah a business bawlnau a National level ah common platform khat neisak ding, Common Accounting System (CAS) umsak ding ti ahi. Zialo a chu central leh state levels ah Project Management Units (PMUs) umsak ding ti ahi.

Primary Agricultural Credit Society (PACS) ahileh India ah basic unit leh co-operative credit institutions neupen ah kihia, grassroots level (gram panchayat leh village level) ah farmer, abiktak ah Small & Marginal Farmers (SMFs)-te tawh rural economy siamhoina ding ah panla ahi. India gam sung ah kisan credit card (KCC) loans piak ah um 41% (3.01 crore farmers) te chu PACS apat a hiu a, zia ah 95% KCC loans (2.95 crore farmers) piak ah umte chu Small & Marginal Farmers (SMFs) te a hiu.

Three-tier Short-Term Cooperative Credit (STCC) ah Primary Agricultural Cooperative credit societies (PACS) in a nuainungpen hina a lua a, approx.13 Cr. Farmers te chu a member a hiu. Tier dang panite chu - State Cooperative Banks (StCBs) leh District Central Cooperative Banks (DCCBs) ahiu.

PACS computerization project chu total budget outlay Rs. 2516 crore (GoI share Rs. 1528 crore) tawh kum 5 (i.e., 2022 – 2023 - 2026 – 2027) sung ah functional PACS 63,000-te computerized bawl ding ti ahi. PACS tamzawte ahiuleh computerized hilo in, manual ah function a hi ziak un muan-ngamna a taksap bak a, hatzo taktak theilo ti ahi dungzui in computerization project chiapi a um a hi.

Manipur ah two-tier cooperative structures - Manipur State Cooperative Bank Ltd. (apex level) leh PACS i.e., Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies Ltd/Large Area Multipurpose Cooperative Societies Ltd (village level) ah chiapi in a um hi. Manipur ah Annual Administrative Report 2021 -22, Dept of Cooperation, Govt. of Manipur dung in, 31st March, 2022 tiang a khah PACS 255 (valley district ah Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies 151 leh hill districts ah Large Area Multipurpose Societies (LAMPS) 104) a um hi. Manipur ah registered cooperatives 12396 a um a, membership 688062 ahi.

Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) project chu financial inclusion leh service delivery lam sukhatna ding mai hilo a, service chuamchuam - Direct Benefit Transfer (DBT), Interest Subvention Scheme (ISS), Crop Insurance Scheme (PMFBY) chiapina leh inputs lam ah fertilizers, seeds hawpdawna ah PACS chu Nodal Service Delivery Point khat hithei ding, PACS outreach siamhoitu hiding, rural areas ah digitalization suhat chuam ding ti le ahi. Zia project dungzui cloud based common software siamdaw ding, cyber security leh data storage kituptak tawh PACS te hardware support piak ding, records umsate digitize bawl ding ti ahi. Zia cloud based common software chu local mite pau (vernacular language) ah siamdaw ding, State te'n a mamaw dan zil ua software chu siam ding ti le a hi. Zia chungchang ah thuchian kimzaw Director, Institute of Cooperative Management (ICM) , Imphal, Lamphelpat thudawt thei ding ahi.

India ah Primary Agricultural Credit Societies (PACS) 95,000 tuam a um a, zia te chu NABARD in District Central Cooperative Banks (DCCBs) 352 leh State Cooperative Banks (StCBs) 34-te mangchain refinanced bawl in, 13.12 crore farmers te chu PACS members a hiu.

Hiatthei khat chu, *Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002 mai ah National Level Multi-State Cooperative Seed Society; National Level Multi-State Cooperative Export Society leh National Level Multi-State Cooperative Organic Society* a um hi.

NATIONAL LEVEL MULTI-STATE SEED COOPERATIVE SOCIETY

National Level Multi-State Seed Cooperative Society ahileh production, procurement, processing,branding, labelling, packaging, storage, marketing lam leh thaichimu hawpdawna lam; research & development; system neitakah thaichietkawlna lam leh indigenous thaichi te masawnna ding ah panlakna apex organization ahi. Primary societies, district, state leh national level federations banah multi state cooperative societies te chu a member hithei a hiu.

NATIONAL LEVEL MULTI-STATE COOPERATIVE EXPORT SOCIETY

National Level Multi-State Cooperative Export Society ahileh export lam thil ah policies, schemes, agencies tawh kisai mawpua, procurement, storage, processing, marketing, branding, labelling, packaging, certification, research leh development etc chiapi ahi. Cooperatives 4 viz. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF) leh National Cooperative Development Corporation (NCDC) te'n ₹100 Crore chiat puadawk in, promoter members in a pang ui. National Level Multi-State Cooperative Export Society in umbrella organization khat hina tawh gamsung cooperative sector ah nasem thilbawl in, export lam a global markets in Indian cooperatives te masawnna ding in panlakna a nei hi.

NATIONAL LEVEL MULTI-STATE COOPERA ORGANIC SOCIETY:

National Level Multi-State Cooperative Organic Society ahileh Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Health & Family Welfare leh Ministry of Development of North Eastern Region tawh kithua ah panla, umbrella organization khat, organic products lam thil, a biktak ah aggregation, certification, testing, procurement, storage, processing, branding, labelling, packaging, logistic facilities, organic products marketing lam ah institutional support bawl leh organic farmer-te ding ah member cooperatives-te mangcha ah financial assistance arrange bawlpiak ahi. A member ah primary agricultural credit societies, district, state & national level federations, multi-state co-operative societies leh Farmers Producer Organisations (FPOs) te pangthei a hiu.

~ ***Kh Rangamlian Aimol***
Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

~ ***Seiminthang Khongsai***
Faculty Member, Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India

Author : Kh. Rangamilan Aimol,
Director ICM Imphal &
Shri Seminthang Khongsari Faculty ICM Imphal
Newspaper : NISHIN Thumbhitu
Page No.2
Date : 19.01.2023

Model Byelaws চৎনহন্দুনা মণিপুরদা PACS অসি তুংকোইনা অমদি মপাঙ্গল কন্না হীংহনবা

Shri Kh. Rangamlian Aimol
Director (I/c), Institute of Cooperative Management, Imphal

ভারততা চাওবাক্লা 95000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) অসি NABARD কী মখাদা লেনখং পীরি। হায়রিবা লেনখং অসি 352 District Central Co-operative Banks (DCCBs) অমদি 34 State Co-operative Banks (StCBs), গী খুৎথাংদা পীরনি। মসিদা লৌমী 13.12 Crore Member ওইরি। মণিপুরদসু Two tier Co operative Structure লৈরি, The Manipur State Co operative Bank Ltd. অসিনা Appex Level দা অদুগা PACS i.e. Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies Ltd./ Large Area Multipurpose Cooperative Societies Ltd. অসিনা খুন্দংগী Level দা লৈরি। মণিপুরদা চাওবাক্লা 255 PACS লৈবা (151 Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Soceities Valley District শিংদা অমদি 104 LAMPS Hill District শিংদা) 31st March 2022 ফাওনদা।(as per Annual Administrative Report 2021-22, Dept. of Cooperation, Govt. of Manipur)। ভারতকী খুন্দংগী শেন থুমগী ফিভম অসিবু ফগৎহনবদা PACS অসিনা য়াম্না মরু ওইবা থৌদাং লৌবীরি। মসিদা Short Term & Medium Term শেনখং লৌমীশিংদা পীর্বারি। তৌবতসু হায়রিবা শেনখং অসি খঙনাদে PACS অসিবু মতম শাংনা হীংনবগীদমক্তদমক হোৎনবদা কোম্মদবা অমদি অবাংবা মায়োক্নরি।

থোক্তক-থোক্তক PACS না পাইখৎলিবা Economic Activities শিং অসি Respective Byelaws অসিগী মখাদনি। হায়রিবা Byelaws অসি য়াম্না লিরবা ওইবনা নৌনা Revised Byelaws দরকার ওইরি। হায়রিবা Model Byelaws অসিনা PACS শিংনা হেন্না অমদি হীরম অতোপ্পা কয়াদা হায়বদি অতোপ্পা 25 Sectors (agriculture & non agriculture, credit and non credit), অসুম্না Multipurpose Primary Agricultural Credit Societies ওইহনবকপা ঙমগনি। Model Byelaws গী মখাদা PACS না পাইখৎপা য়াবা Business Activities শিং অদুদি– (short -term, medium -term and long-term credit, fertilizer and pesticide distribution, custom, hiring centres, floriculture, beekeeping, fish/ shrimp farming, chicken, sheep, goat, pig farming, silk production, milk production, procurement of food grains, collection, grading, cleaning activities, activities related to packaging, branding and marketing of Agricultural product, agricltural product processing, storage facility (ware house & cold storage), community centre, hospital, education, fare price shop, LPG / Petrol/Diesel dealership, Bank Mitra/ Business Correspondence, insurance facility, common service centre/ data centre, locker facility, etc.) Model Byelaws শা য়াওরিবা অসি States/UTs শৃঙ্গদগী খ্বাইদগী অফবা Best practices যাওগনি।

মসিগী মথক্তা দরকার ওইবা Legal অমদি Administrative structure, expansion of area of operation of PACS, diversification in the loan portfolio, provision of long term loans, expansion in business, related services, membership related provisions, audit etc.শিং অসি য়াওগনি। মসিগী মথক্তা PACS কী Project শিং অসি Computerized তৌহনবা অমদি FRP based software নচিংবা শিজিন্নদুনা Model Byelaws দা পল্লিবা PACS কী Business Activities খুদিংমক য়াওগনি। PACS পু মতেং পাংনবগীদমক Gram Sabha/ Government land শিং অসি শেমগৎ –শাগৎপা, Fare Price Shops (FPS) Lecnese অমদি PACS Agency শিং অসি Food grains নচিংবা Minimum Support Price (MSP) Price তা ফংহনবা। মসিগী Model Byelaws অসি Hon'ble Minister of Cooperation না States অমদি UTs খুদিংমক্কী Chief Minister দা থংহনখ্রবনি। হায়রিবা Model Byelaws অসি 13 Chapter থোক্না খায়দোক্লি। অদুবু হায়রিবা concerned PACS শিং অসিনা মাগী মাগী State Cooperative Acts কী মখাদা চান্নবা য়েংলগা শেমদোকচবা য়াগনি।

হেন্না অকুপ্পা মরোলগীদমক– Director ICM Imphal, Lamphelpat তা Contact তৌবীয়ু।

Name of Paper: Paonilkhon
Page No.02.
Topic: Model Byelaws of PACS
Author: Kh Rangamlian Aimol
Director, ICM Imphal
Date: 19.01.2023

5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था को साकार करेगी, भारत सरकार की बहुराज्यीय सहकारी समितियां

डॉ. अमित मुदगल,
निदेशक प्रभारी
सहकारी प्रबन्ध संस्थान, भोपाल

भारतीय गणराज्य में हमेशा से वसुधैव कुटुम्ब की अवधारणा को महत्व दिया गया हैं और आदिकाल से सहकारिता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। देश के साथ साथ समस्त प्रदेशों में भी सहकारी संस्थायें आजादी के पूर्व से एवं आजादी के पश्चात् देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। सहकारी संस्थायें देश के ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एवं देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होने के कारण हमेशा देशकी विभिन्न सरकारों के केन्द्र बिन्दु में रही हैं । वर्तमान भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता की भावना एवं अर्थव्यवस्था में इसकी महत्ता को भली भांति न सिर्फ महसूस किया हैं बल्कि केन्द्र में नया सहकारिता मंत्रालय का गठन कर एवं उसमें एक अनुभवी मंत्री को जवाबदारी देकर देशके सामने सहकारिता के महत्व को बतलाया हैं।

वीन सहकारिता मंत्रालय व्दारा जिसके मंत्री माननीय श्री अमित शाहजी ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर देशके सहकारिता क्षेत्र में कदम उठाते हुए अनेकों बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी हैं जिसको मोदी सरकार की मंत्री मण्डल समिति ने भी अनुमोदित किया हैं। इन बहुराज्यीय सहकारी समितियों में प्रमुख रुप से सहकारी निर्यात समिति] सहकारी बीज समिति तथा सहकारी जैविक समिति प्रमुख हैं । माननीय प्रधानमंत्री व्दारा दिये गये नारे 'सहकार से समृद्धि' एवं 'वोकल फ़ॉर लोकल' को इन बहु राज्यीय सहकारी समितियों (मल्टी स्टेट को आपॅरेटिव सोसायटी) के व्दारा सिद्ध किया जाएगा । भारत सरकार व्दारा बहुराज्यीय सहकारी निर्यात समिति का गठन ञ्च पंजीयन मल्टी स्टेट को आपॅरेटिव सोसायटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसमें प्रायमरी से लेकर राष्ट्रीय स्तर की समितियां जिसमें प्रायमरी समितियां जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ एवं बहुराज्यीय सहकारी समितियॉ शामिल होकर इसकी सदस्य बनेगी । इन सभी सहकारी समितियों के उपविधियों के अनुसार समिति के बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होगे एवं विभिन्न उत्पादों के एकत्रीकरण, ब्रान्डिग एवं विपणन के माध्यम से उत्पादों की उच्च कीमत प्राप्त करने में इन सहकारी समितियों और किसान सदस्य को सहायता मिलेगी। देश की चार प्रमुख सहकारिताएं इफको, कृभको, नेफेड , जी.सी.एम.एम.एफ और एन.सी.डी.सी इसके लिए एक साथ, साथ आये हैं ताकि भारतीय किसानों के उत्पादों के निर्यात के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय बहुराज्यीय सहकारी समिति की स्थापना होगी इन सभी ने इसमें 100 करोड रुपये का योगदान भी प्रदान किया हैं। इसे एम-एस-सी-एस अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा तथा धारा 116(1) के तहत दूसरी अनुसूची में संसोधन करके समिति केा एक राष्ट्रीय सहकारी समिति के रुप में अधिसूचित किया जाएगा । हमारे देशमें लगभग 8.54 लाख पंजीकृत सहकारिताऐं है जिनमें 29 करोड से अधिक सदस्य जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के सीमांत समूहों एवं निम्न आय वर्ग से हैं। इन सहकारिताओं के व्दारा सभी क्षेत्रों में जैसे कृषि(खाघान्न, दालें, तिलहन आदि) , बागवानी(फल, सब्जियां, फूल, संगुधित उत्पाद आदि), डेयरी , कुक्कुट पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी , मसाले(इलायची, काली मिर्च, लौंग, केसर, हल्दी आदि) जैविक उत्पाद, उर्वरक, हस्तकरधा, हस्तकला, वस्त्र, चाय/ कॉफ़ी, लघु वनोपद उत्पाद, आयुर्वेदिक ञ्चहर्बल औषधिया, पंसस्कृत खाघान्न, चमडा आदि में उत्पादन किया जाता हैं।

सहकारिताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे उवर्रक उत्पादन 28.80 प्रतिशत , उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत , चीनी उत्पादन में 30.60 प्रतिशत, और दूध के विपणन योग्य अधिशेष की खरीदी में 17.50 प्रतिशत का योगदान भारत की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में प्रदान कर रही हैं। इनमें से कई उत्पादों की कई देशों में भारी मांग हैं। लेकिन सहकारिता के एकरुपता के अभाव में सहकारी उत्पादों ञ्चसेवाओं की निर्यात क्षमता काफी हद तक अनुपयोगी रही हैं। पर्याप्त वित्त, निर्यात उन्मुखीकरण, पर्याप्त बुनियादी ढांचा , मानकीकरण, बाजार जागरुकता , उत्पादकों का प्रमाणन आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृध्दि के लिए आव'यक हैं। सहकारिताओं व्दारा देशकी निर्यात बास्केट को सुदृढ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु निर्यात योग्य घरेलू अधिशेष, कार्यशील पूंजी , तकनीकी जानकारी, और प्रशिक्षण हेतु उचित संस्थागत समर्थन की आव'यकता हैं। परिणाम स्वरुप भारतीय सहकारी क्षेत्र व्यापकता और अर्थव्यवस्था में इसके पर्याप्त योगदान के बावजूद केवल

Author : डॉ अमित मुदगाल , निदेशक प्रभारी,सहकारी प्रबंध संस्थान , भोपाल

Newspaper : प्रदेश टाइम्स , भोपाल | 19 /01 /2023 Page No. 4 Circulation: 24,775

Ultimate key to revitalize PACS found

■ DR R K SHARMA & VANSHIKA BHARDWAJ

According to cooperative model byelaws, small and medium scale farmers will have plenty of advantages in order to grow their businesses. There are myriad ways through which they can work in more structured way and can become an inclusive part of capital formation of the Indian economy. The new co-operative by-laws explain how farmers can form such cooperative societies and can avail the benefits of obtaining 'A' and 'B' class of memberships. The following persons, subject to fulfillment of the eligibility condition, shall be treated as A-Class Members:

a) The promoters at the time of registration of Society;

b) An Individual who, is competent to contract under the provision of Section 11 of the Indian Contract Act 1872 (above 18 years of age, having a sound mind and not debarred by any law) and possesses agricultural land or land for allied agricultural activities or rearing domestic cattle in the area of operation of the society;

c) Is not a member of any other PACS in any other Panchayat/ Village; (If there is no PACS in the Panchayat/ Village, the members can avail benefits of the nearby PACS after approval of the Registrar)

d) State Government or any other Government Body;

Eligibility & conditions for 'B'-class membership:

a) A person who desires to have a business relationship with Society shall be admitted as nominal member by payment of admission fee of Rs.10/- which is non-refundable and shall be credited to Reserve Fund of the Society.

b) Self Help Groups/ Joint Liability Groups/ Farmers Interest Groups, Tenant farmers, sharecroppers, oral lessees or users of land, agricultural &allied activities shall be admitted as nominal members of the Society.

c) Any organization registered under any Act in India (or) abroad shall be admitted as nominal member for business purpose only.

d) Nominal Members shall have no right to attend any meeting or to vote in the affairs of the Society and will not be entitled for dividend from the Society.

e) Nominal members cannot contest in election for the member of the Board of Directors in the Society.

f) A Nominal member who is indebted to the Society either in his personal capacity or as surety or guarantor shall continue to be such member so long as the liability to the Society has not been fully discharged.

g) No share certificate shall be issued to nominal members but separate Register shall be maintained in the Society, which shall contain his signature and full address as proof of his membership.

The Objectives of the Society shall be to provide to its members timely and adequate Short and Medium term credit for development of backward and forward activities related to agriculture and its products, loan for vehicles for agricultural purpose like tractors etc, loan for consumption or medical purpose against collateral/pledge financing like commodities / bonds/ securities, etc. while maintaining financial norms (like credit worthiness and for securing the given loan) in the area of operation through share capital, deposits and borrowings from any financial institutions approved/ supported by or State Government and its organizations. To provide long term loan after approval of the Financing Bank/ Agriculture & Rural Development Bank/ District Central Cooperative Bank/ State Cooperative Bank/ Financing Institutions of State and Central Government. To promote and develop backward linkages (such as demonstration plots, irrigation facilities, manure, fertilizers, improved seeds/ seed production, custom hiring centre, farm machineries/implements, insecticides, other inputs etc); forward linkages (such as collection, grading, cleaning, packaging, branding and marketing, storage [godown and cold storage], processing, value chain [transport, logistics, refrigerated van, etc.]), for the agriculture produce & its products (such as field crops, fruits & vegetables, floriculture, dairy activities, fisheries/shrimp farming, poultry, bee-keeping, sericulture, plantation, sheep, goat, rabbits, piggery and any other land/ sea based agriculture related activities and their processing), by way of technical and financial support to its members in the area of operation of the Society. To facilitate or make arrangements or to collaborate with any local bodies / Governments / Departments/Universities/Societies/Companies for achieving its objectives for the benefit of Society and its members. To engage in service or business operations (like infrastructure development, community centre, hospital, education institutions, procurement of food grains, Fair Price Shop, or any Government scheme, dealership/agency/Distributorship or supply of LPG/Petrol/Diesel/Green energy/ farm or household consumables and durables/ farm machineries, training of members for skill improvement, etc.) which may enhance the facilities and income of Society or its members. To set up or arrange for Locker facilities with the permission of DCCB (District Central Cooperative Bank). To collect socio-economic, financial and business-related information of all members and non-members in the area of operation which may strengthen policy framework, development of agriculture or related business or developmental plan and is also beneficial to all the stakeholders in the area of operation. To demonstrate, promote and develop the latest technologies or extension activities related to agriculture and its allied activities for enhancing the income of the Society and its members. To educate its members & their families (particularly youth and women) and Management and staff about Cooperative Principles, values and actions which may promote social harmony and economic benefits for all the stakeholders in the area of operation by way of organizing training, exposure visits or capacity building programmes. To act as an agent or Bank Mitra/Business Correspondent/Business Facilitator for the Financial/Banking Institutions. To act as an agency for implementation of social security scheme for its members and to provide micro insurance/ insurance. To focus on and encourage the inclusion of youth and women in the cooperative based activities in the area of operation. To provide community-based services in the fields of education (school, college), health (hospital, dispensary, clinical laboratory, ambulance service), tourism and environmental and sustainable development activities; any activity related to backward & forward linkages of agricultural produce and its products to support its members; Loan facilities as per agriculture production and its processing activities, household consumption-based requirement of members subject to necessary regulatory approval from the concerned authority; any asset creation or arrangements or setting up of subsidiaries which may be beneficial to the Society and its members for production, collection, processing and marketing of the product. To engage in services or business operations like supply of consumer durables, etc. To research, promote, demonstrate innovative technology and extension work (including soil and agri-products testing) and its allied activities; awareness creation, capacity building programmes, skill development, fairs and exhibitions or any extension related works; collaboration with Government Departments / Universities / Startups / Industries in public and private sector and its associations/ multilateral agencies with necessary approval from the concerned Government, which is beneficial to the Society and its members. To provide services in online mode to the extent possible. To maintain own website, other business or financial support necessary and required to fulfill the objectives. Apart from these objectives, the Cabinet Committee on Economic Affairs headed by Prime Minister Narendra Modi has given his approval on Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) with the target of elevating efficiency of PACS, enhancing transparency and accountability in their business operations; facilitating PACS to diversify their business. This committee proposes computerization of about 63,000 PACS over a period of 5 years with a total budget outlay of Rs 2516 crore with Government of India share of Rs 1528 crore. Majority of PACS have so far been not computerized and still functioning manually resulting in inefficiency and trust deficit. In some of the states, stand-alone and partial computerization of PACS has been done. There is no uniformity in the software being used by them and they are not interconnected with the DCCBs and StCBs. Computerization of PACS, besides serving the purpose of financial inclusion and strengthening service delivery to farmers and provision of inputs like fertilizers, seeds etc. The project will help in improving the outreach of the PACS as outlets for banking activities as well as non-Banking activities. The project will also focus on installing cloud-based common software with cyber security and data storage, providing hardware support to the PACS, digitization of existing records and also maintenance support and training. This software will be in vernacular language having flexibility of customization as per the needs of the States. Project Management Units (PMUs) will be set up at Central and State levels.

(The authors are from Regional Institute of Cooperative Management, Chandigarh).

Name of Paper: The Statesman
Page No: 06
Date: 20.1.2023
Topic: Ultimate Key to Revitalise PACS found
Author: Dr. R. K Sharma, Director &
Ms. Vanshika Bhardwaj,
RICM, Chandigarh

विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

कृषि सहकारी संस्थाएं पुनर्जीवित होंगी

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. कानूनी प्रावधानों के चलते पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां करेंगी. वास्तव में कृषि सर्विस सेंटर पुरानी उपयोगी स्कीम थी जो खत्म हो गई. इससे देश में कृषि का पूरा चरित्र ही बदल जाता. अब पुरानी खामियों को दूर कर योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा. नसों के समान सेवा केंद्रों का जाल फैलेगा जिससे ग्रामीण और कृषि सेक्टर को लाभ होगा. दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पैक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी

वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पैक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी. पैक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लान बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकी. केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मंगाए. समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पैक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद मांगा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाइयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है. पैक्स बहुउद्देशीय नए अवतार में आदर्श उपनियमों के जरिए पैक्स बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है. अभी तक पैक्स केवल अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज ही दे सकती थी. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पैक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

- नीलमेघ चतुर्वेदी

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Indore | 20 /01/2023 | Page No. 6 Circulation:1,24,541

विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

कृषि सहकारी संस्थाएं पुनर्जीवित होंगी

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. कानूनी प्रावधानों के चलते पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां करेंगी. वास्तव में कृषि सर्विस सेंटर पुरानी उपयोगी स्कीम थी जो खत्म हो गई. इससे देश में कृषि का पूरा चरित्र ही बदल जाता. अब पुरानी खामियों को दूर कर योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा. नसों के समान सेवा केंद्रों का जाल फैलेगा जिससे ग्रामीण और कृषि सेक्टर को लाभ होगा. दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पैक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पैक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी. पैक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लान बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकी. केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मंगाए. समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पैक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद मांगा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाइयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है. पैक्स बहुउद्देशीय नए अवतार में आदर्श उपनियमों के जरिए पैक्स बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है. अभी तक पैक्स केवल अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज ही दे सकती थी. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पैक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

- नीलमेघ चतुर्वेदी

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Satna | 20 /01/2023 | Page No. 6 Circulation 45,300

विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

कृषि सहकारी संस्थाएं पुनर्जीवित होंगी

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. कानूनी प्रावधानों के चलते पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां करेंगी. वास्तव में कृषि सर्विस सेंटर पुरानी उपयोगी स्कीम थी जो खत्म हो गई. इससे देश में कृषि का पूरा चरित्र ही बदल जाता. अब पुरानी खामियों को दूर कर योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा. नसों के समान सेवा केंद्रों का जाल फैलेगा जिससे ग्रामीण और कृषि सेक्टर को लाभ होगा. दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पैक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पैक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी. पैक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लान बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकी. केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मंगाए. समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पैक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद मांगा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाइयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है. पैक्स बहुउद्देशीय नए अवतार में आदर्श उपनियमों के जरिए पैक्स बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है. अभी तक पैक्स केवल अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज ही दे सकती थी. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पैक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

– नीलमेघ चतुर्वेदी

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Gwalior | 20 /01/2023 | Page No. 6 Circulation: 1,09,949

विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

कृषि सहकारी संस्थाएं पुनर्जीवित होंगी

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. कानूनी प्रावधानों के चलते पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां करेंगी. वास्तव में कृषि सर्विस सेंटर पुरानी उपयोगी स्कीम थी जो खत्म हो गई. इससे देश में कृषि का पूरा चरित्र ही बदल जाता. अब पुरानी खामियों को दूर कर योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा. नसों के समान सेवा केंद्रों का जाल फैलेगा जिससे ग्रामीण और कृषि सेक्टर को लाभ होगा. दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पैक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी

वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पैक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी. पैक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लान बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकी. केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मंगाए. समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पैक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद मांगा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाइयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है. पैक्स बहुउद्देशीय नए अवतार में आदर्श उपनियमों के जरिए पैक्स बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है. अभी तक पैक्स केवल अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज ही दे सकती थी. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पैक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

- नीलमेघ चतुर्वेदी

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Jabalpur | 20 /01/2023 | Page No. 6 Circulation: 1,52,798

विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

कृषि सहकारी संस्थाएं पुनर्जीवित होंगी

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. कानूनी प्रावधानों के चलते पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां करेंगी. वास्तव में कृषि सर्विस सेंटर पुरानी उपयोगी स्कीम थी जो खत्म हो गई. इससे देश में कृषि का पूरा चरित्र ही बदल जाता. अब पुरानी खामियों को दूर कर योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा. नसों के समान सेवा केंद्रों का जाल फैलेगा जिससे ग्रामीण और कृषि सेक्टर को लाभ होगा. दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पैक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पैक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी. पैक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लान बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकी. केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मंगाए. समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पैक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद मांगा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाइयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है. पैक्स बहुउद्देशीय नए अवतार में आदर्श उपनियमों के जरिए पैक्स बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है. अभी तक पैक्स केवल अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज ही दे सकती थी. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पैक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

- नीलमेघ चतुर्वेदी

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist
Newspaper : Nav Bharat, Chindwara | 20 /01/2023 | Page No. 6 Circulation: 43,371

विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां

कृषि सहकारी संस्थाएं पुनर्जीवित होंगी

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देश की लगभग 63 हजार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी है. कानूनी प्रावधानों के चलते पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी) अब विकास पथ पर दौड़ने की तैयारियां करेंगी. वास्तव में कृषि सर्विस सेंटर पुरानी उपयोगी स्कीम थी जो खत्म हो गई. इससे देश में कृषि का पूरा चरित्र ही बदल जाता. अब पुरानी खामियों को दूर कर योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा. नसों के समान सेवा केंद्रों का जाल फैलेगा जिससे ग्रामीण और कृषि सेक्टर को लाभ होगा. दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाले से बाहर निकल, 25 नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश पर पैक्स का नया अवतार अब सामने होगा. वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

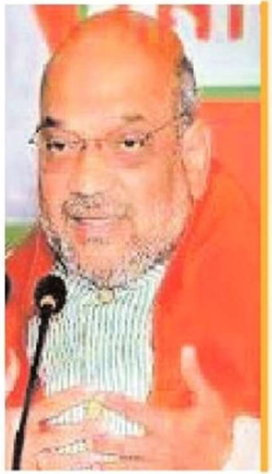

वर्तमान में सीमित कारोबारी व्यवस्था में बंधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुजरती हैं. परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही सदस्य-असदस्य किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य.

केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पैक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारी योगदान सुनिश्चित करेंगी. पैक्स के लिए दशकों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने इनके लिए मॉडल बिजनेस प्लान बनाए, किंतु ये जमीन पर नहीं उतरे. फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मजबूत नहीं हो सकी. केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह (जो जिला सहकारी बैंक, अहमदाबाद के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं) ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया. मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (एपेक्स बैंक्स) तथा वैकुंठ भाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (वेम्निकॉम) की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मंगाए. समिति द्वारा तैयार इन प्रारूप आदर्श उपनियमों को सभी पैक्स और जुड़े घटकों को प्रेषित कर प्रतिसाद मांगा गया. इन सभी फीडबैक की अच्छाइयों को शामिल कर प्रारूप आदर्श उपनियम तैयार कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैक्स में प्रभावशील करने हेतु भेज दिए गए हैं. ये सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अपनी सुविधा अनुसार लागू कर सकते हैं. केंद्र का यह कदम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के सातवें सिद्धांत समुदाय से सरोकार पर भी जोर देता है. इंडिया आईसीए का संस्थापक सदस्य भी है. पैक्स बहुउद्देशीय नए अवतार में आदर्श उपनियमों के जरिए पैक्स बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के जरिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी. इनमें दीर्घावधि कर्ज वितरण, कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, फार्म मशीनरी, उपकरणों की बिक्री, गैस, डीजल, पेट्रोल पंप संचालन, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जिंस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित उत्पादों की बिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है. अभी तक पैक्स केवल अल्पावधि और मध्यावधि कर्ज ही दे सकती थी. दीर्घावधि कर्ज के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पैक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे. प्रस्तावित आदर्श उपविधियों में इन समस्याओं का समाधान किया गया है.

- नीलमेघ चतुर्वेदी

Author : Shri Neelmegh Chaturvedi, Senior Journalist

Newspaper : Nav Bharat, Bhopal | 20 /01/2023 | Page No. 6 Circulation: 1,47,919

PACS માટે મોડલ પેટા-નિયમો પર સંક્ષિપ્ત વિવરણ

પ્રસંગસર

ડો. એ. કે. અસ્થાના

દેશમાં લગભગ ૯૫,૦૦૦ પ્રાથમિક કૃષિ ધિરાણ મંડળીઓ (PACS) છે જેને નાબાર્ડ દ્વારા ૩૫૨ જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો (DCCBs) અને ૩૪ રાજ્ય સહકારી બેંકો (StCBs) દ્વારા પુનઃધિરાણ કરવામાં આવે છે, જેમાં ૧૩.૧૨ કરોડ ખેડૂતો સભ્યો છે. ખેડૂતોને ટૂંકા ગાળાના અને મધ્યમ ગાળાના ધિરાણ આપીને દેશના ગ્રામીણ અર્થતંત્રને ટકાવી રાખવા માટે PACS એક નિર્ણાયક કડી તરીકે સેવા આપે છે. જો કે, એકલા આ વ્યવસાયોમાંથી પેદા થતી આવક PACSની કામગીરીને ટકાવી રાખવા માટે પૂરતી નથી. હાલમાં, PACS દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ તેમના સંબંધિત પેટા-નિયમો દ્વારા પ્રતિબંધિત છે, જે મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, દાયકાઓ જૂના છે અને તેને સુધારવાની જરૂર છે.

આ મુદ્દાને સંબોધવા માટે અને ગ્રામ્ય સ્તરે PACS ને વાઇબ્રન્ટ આર્થિક સંસ્થાઓમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે, નાબાર્ડ, રાજ્ય સહકારી બેંકો, વૈકુંઠ મહેતા નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કો-ઓપરેટિવ મેનેજમેન્ટ (VAMNICOM), નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર કોઓપરેટિવ ટ્રેનિંગ (NCCT) ના પ્રતિનિધિઓ સાથેની સમિતિ, વગેરેની રચના સહકાર મંત્રાલય દ્વારા PACS માટે ડ્રાફ્ટ મોડલ પેટા-નિયમો તૈયાર કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. આ તમામ રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રાલયો, રાષ્ટ્રીય સહકારી મંડળીઓ, રાજ્ય સહકારી બેંકો અને જિલ્લા સહકારી બેંકોને ૦૧.૦૭.૨૦૨૨ના રોજ તેમની ટિપ્પણીઓ/પ્રતિસાદ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે સામાન્ય લોકોના સૂચનો પણ માંગવામાં આવ્યા હતા. સંબંધિત તમામ હિતધારકો તરફથી ૧૫૦૦ થી વધુ સૂચનો પ્રાપ્ત થયા હતા, જે ડ્રાફ્ટ મોડલ પેટા-નિયમોમાં યોગ્ય રીતે સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.

Full Form of PACS

Primary Agricultural Credit Societies

મોડલ પેટા-નિયમો PACS ને તેમની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને ૨૫ થી વધુ ક્ષેત્રો (કૃષિ અને બિન-કૃષિ, ધિરાણ અને બિન-ધિરાણ) માં વૈવિધ્યીકરણ કરવા સક્ષમ બનાવશે, આમ તેમને બહુહેતુક પ્રાથમિક કૃષિ ધિરાણ મંડળીઓ (બહુ-ઉદ્દેશીય PACS) માં રૂપાંતરિત કરશે. મોડલ પેટા-નિયમો અનુસાર PACS દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી કેટલીક સૂચક વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ આ પ્રમાણે છે: ટૂંકા ગાળાના, મધ્યમ ગાળાના અને લાંબા ગાળાના ધિરાણ, ખાતર અને જંતુનાશકનું વિતરણ, બિયારણનું વિતરણ, મત્સ્યોદ્યોગ/ડેરી/મરઘાં પ્રવૃત્તિઓ, કૃષિ યંત્રો/સાધનો, કસ્ટમ હાયરિંગ સેન્ટર્સ, ફ્લોરીકલ્ચર, મધમાખી ઉછેર, માછલી/ઝીંગા ઉછેર, ચિકન, ઘેટાં, બકરી, ડુક્કર ઉછેર, રેશમ ઉત્પાદન, દૂધ ઉત્પાદન, અનાજની પ્રાપ્તિ, સંગ્રહ, ગ્રેડિંગ, સફાઈ પ્રવૃત્તિઓ, કૃષિ ઉત્પાદનોના પેકેજિંગ, બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ, કૃષિ ઉત્પાદનોની પ્રક્રિયા, સંગ્રહ સુવિધા (વેરહાઉસ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ), સમુદાય કેન્દ્ર, હોસ્પિટલ, શિક્ષણ, વાજબી ભાવની દુકાનો, LPG/પેટ્રોલ/ડીઝલ ડીલરશીપ, બેંક મિત્ર/વ્યાપાર પત્રવ્યવહાર, વીમા સુવિધા, સામાન્ય સેવા કેન્દ્ર/ડેટા સેન્ટર, લોકર સુવિધા વગેરે. આ દેશમાં કૃષિના સર્વાંગી વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપશે.

મોડલ પેટા-નિયમોમાં સમગ્ર રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાંથી શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ અને કાયદાકીય અને વહીવટી માળખાને લગતી જરૂરી જોગવાઈઓ, PACSના કાર્યક્ષેત્રના વિસ્તરણનો સમાવેશ થાય છે; લોન પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્યકરણ; લાંબા ગાળાની લોનની જોગવાઈ; વ્યવસાય-સંબંધિત સેવાઓમાં વિસ્તરણ; સભ્યપદ સંબંધિત જોગવાઈઓ; નિયામક મંડળ (BoD), સામાન્ય સભા અને વ્યવસ્થાપન સંબંધિત જોગવાઈઓ; ઓડિટ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ PACS ને એક સક્ષમ કાનૂની અને વહીવટી માળખું પૂરું પાડશે જેથી તેઓ સુશાસન, વ્યવહારુ વ્યવસાયિક કામગીરી અને કાર્યક્ષમ કામગીરી કરી શકે, આમ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સભ્ય ખેડૂતોની જરૂરિયાતો પૂરી કરતી બહુ-સેવા કેન્દ્રો અને સિંગલ-વિન્ડો એજન્સીઓ તરીકે સેવા આપશે.

મોડલ પેટા-નિયમો પણ PACS પ્રોજેક્ટના કમ્પ્યુટરાઈઝેશન સાથે તૈયાર કરવામાં આવશે, જે અંતર્ગત મોડેલ પેટા-નિયમોમાં ઉલ્લેખિત તમામ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને આવરી લેતું એક ERP-આધારિત સોફ્ટવેર વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. PACS ને આધાર પૂરો પાડવા માટે, જેમ કે માળખાકીય વિકાસ માટે ગ્રામસભા/સરકારી જમીન, વાજબી કિંમતની દુકાનો (FPS) લાયસન્સ અને PACS ને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) પર અનાજની પ્રાપ્તિ માટે એજન્સી તરીકે નિયુક્ત કરવા, એક સંદેશાવ્યવહાર પહેલેથી જ થઈ ગયો છે. માનનીય સહકાર મંત્રી દ્વારા તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્યમંત્રીઓને પહેલાં જ મોકલવામાં આવેલ છે.

આ મોડલ પેટા-નિયમો માત્ર પ્રકૃતિમાં સૂચક છે અને સંબંધિત PACS તેમના સંબંધિત રાજ્ય સહકારી અધિનિયમો અનુસાર યોગ્ય ફેરફારો કર્યા પછી તેને અપનાવી શકે છે.

Title: Information on Model Byelaw for PACS published by RICM Gandhinagar
Newspaper : Gandhi Samachar, Gandhinagar | 20 /01/2023 | Page No. 4 Circulation: 5,925

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि ऋण में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान

मंगल जित राई
अध्यक्ष-भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ (एनसीडीएफआई) अध्यक्ष-सहकार भारती सिक्किम प्रदेश

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी), भारत में सबसे मूलभूत और सबसे छोटी सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। यह सबसे निचले स्तर (ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर) पर कार्य करती है। भारत में लगभग एक लाख प्राथमिक ऋण समितियां है जिसमें अकेले महाराष्ट्र में इक्कीस हजार से अधिक समितियां है।

जून 2022 में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में कुल 2516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय होगा, जिसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 1529 करोड़ रुपये की होगी। पांच वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। इससे करीब 19 करोड़ किसानों को लाभ होगा।ध्यातव्य है कि लघु और सीमांत किसानों को ऋण देने में इन समितियों की भूमिका लगभग 50 फीसदी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।

सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, वह बताते है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'सहकार से समृद्धि' मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है।

नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज लगभग 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और उनका कंप्यूटरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा।

* मैं इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।

* करीब 2516 करोड़ रुपये की लागत से 63000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे करीब 13 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे।

* इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

अमित शाह ने अपने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, वह बताते है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'सहकार से समृद्धि' मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है। इसी कड़ी में आज मोदी कैबिनेट ने लगभग 63000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पैक्स सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इसका कंप्यूटरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2,516 करोड़ रुपये की लागत से से 63000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे लगभग 13 करोड़ छोटे व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण के निर्णय से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और यह बहुउद्देशीय पैक्स को लेखांकन की सुविधा भी प्रदान करेगा।

अमित शाह ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। साथ ही इससे पैक्स को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस),फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) आदि विभिन्न सेवाएं प्रदान करने और खाद, बीज आदि इनपुट प्रदान करने के लिए एक नोडल सेंटर बनने में भी मदद मिलेगी।

पैक्स के मॉडल उपनियमों पर संक्षिप्त जानकारी

देश में लगभग 95,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थित है, जिन्हें नाबार्ड द्वारा 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबीएस) और 34 राज्य सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इन पैक्स में 13.12 करोड़ किसान सदस्य है। पैक्स किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते है। यद्यपि अकेले इन व्यवसायों से होने वाली आय, पैक्स की संचालन गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में, पैक्स द्वारा जाने वाली आर्थिक गतिविधियां उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, जो ज्यादातर मामलों में दशकों पुरानी है और उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर पैक्स को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए प्रारूप मॉडल उपनियम तैयार करने के लिए किया गया था। इन्हें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार मंत्रालयों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों को उनकी टिप्पणियां/प्रतिक्रिया के लिए दिनांक 1.7.2022 को परिचालित किया गया था। इस पर आम जनता के सुझाव भी मांगे गए थे। संबंधित सभी हितधारकों से 1500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें मॉडल उपनियमों के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

ये मॉडल उपनियम पैक्स को 25 से अधिक क्षेत्रों (कृषि और गैर-कृषि, ऋण और गैर-ऋण) में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे, इस प्रकार उन्हें बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (बहु-उद्देशीय पैक्स) में परिवर्तित कर देंगे।मॉडल उपनियमों के अनुसार पैक्स द्वारा की जा सकने वाली कुछ सांकेतिक व्यावसायिक गतिविधियां इस प्रकार है- अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण, उर्वरक और कीटनाशक वितरण, बीज वितरण, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन गतिविधियां, कृषि मशीनरी, कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली/झींगा खेती, चिकन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न की खरीद, संग्रह, ग्रेडिंग, सफाई गतिविधियां, पैकेजिंग से संबंधित गतिविधियां, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, भंडारण सुविधा (वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज), सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा, उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी-पेट्रोल-डीजल डीलरशिप, बैंक मित्र/ व्यावसायिक पत्राचार, बीमा सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर / डेटा सेंटर, लॉकर सुविधा आदि, यह देश में कृषि के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

मॉडल उपनियमों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं और कानूनी तथा प्रशासनिक संरचना, पैक्स के संचालन के क्षेत्र के विस्तार से संबंधित आवश्यक प्रावधान शामिल है जो इस प्रकार है- ऋण पोर्टफोलियो में विविधीकरण, लम्बी अवधि के ऋण का प्रावधान, व्यापार से संबंधित सेवाओं में विस्तार, सदस्यता संबंधी प्रावधान, निदेशक मंडल (बीओडी), सामान्य निकाय और प्रबंधन संबंधी प्रावधान, लेखापरीक्षा आदि को शामिल किया गया है।ये पैक्स को एक सक्षम कानूनी और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करेंगे ताकि उनके लिए बेहतर शासन व्यवहार्य व्यवसाय संचालन और कुशल कार्य पद्धति उपलब्ध हो सके। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहु सेवा केंद्र और एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य किया जा सके।

मॉडल उपनियमों को पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके तहत मॉडल उपनियमों में उल्लिखित सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करते हुए एक एकल ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।पैक्स को समर्थन प्रदान करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्राम सभा / सरकारी भूमि उपलब्ध कराने, उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के लिए लाइसेंस और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न की खरीद के लिए पैक्स को एजेंसी के रूप में नामित करने आदि के संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है।

ये मॉडल उपनियम केवल सांकेतिक प्रकृति के है और संबंधित पैक्स अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त संशोधनों के बाद उन्हें अपना सकते है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण

* 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000कार्यात्मक पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

* लगभग 13 करोड़ किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा जिसमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान है।

* इससे पारदर्शिता, दक्षता आएगी, विश्वास बढ़ेगा और पैक्स को पंचायत स्तर पर नोडल डिलीवरी सर्विस पॉइंट बनने में मदद करेगा।

* डेटा स्टोरेज के साथ क्लाउड आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयर,साइबर सुरक्षा, हार्डवेयर, मौजूदा रिकॉर्ड का डीजिटलिकरण, रखरखाव और प्रशिक्षण मुख्य घटक है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता पूर्ण नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैक्स की दक्षता बढ़ाने, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने, पैक्स को उनके व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों/सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। यह परियोजना भारत सरकार के 1528 करोड़ रुपये के हिस्से के साथ 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ लगभग 63000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ (पैक्स) देश में तीन-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) के सबसे निचले स्तर का गठन करती है, जिसमें लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित बना दिया गया है और इसे कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) प्लेटफार्म पर लाया गया है।

हालांकि अधिकांश पैक्स अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए है और अभी भी मैनुअल रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी व्याप्त है। कुछ राज्यों में पैक्स का स्टैंड अलोन और आंशिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है।उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में एकरूपता नहीं है और वे डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ परस्पर जुड़े हुए नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, पूरे देश में सभी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्लेटफार्म पर लाने और उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा, विभिन्न सेवाओं और उर्वरक,बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु भी बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी। डीसीसीबी तब विभिन्न सरकारी योजनाओं (जहां क्रेडिट और सब्सिडी शामिल है) को हाथ में लेने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में स्वयंको नामांकित कर सकते है।जिन्हें पैक्स के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ ऋणों का त्वरित निपटान,कम स्थानांतरण लागत,त्वरित लेखापरीक्षा और भुगतान तथा लेखांकन संबंधी असंतुलन में कमी सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना में साईबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ ईआरपी आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मौजूदा रिकार्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिसमें राज्यों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करना संभव होगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है, 50,000/ रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे कॉमन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत/अपनाने के लिए सहमत हो, उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो और सॉफ्टवेयर 1 फरवरी 2017 के बाद चालू किया गया हो।

निष्कर्ष :- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिरसे जीवंत करने के लिए पैक्स प्रणाली को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता प्राप्त करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) नाबार्ड द्वारा के कम्प्यूटरीकरण इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Title: देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि ऋण में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान

Newspaper: Sahakar Srishthi | 20 /01/2023 | Page No. 4

नवीन निर्देशिका से जनता को मिलेंगी सुविधाएं- डॉ. नवनीत

जयपुर@जोशीला वतन

सामान्यत: सहकारी शब्द का अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। इसे 'सहकारी समिति' कहते हैं।

आपको बता दे कि सहकारिता मंत्रालय से संबद्ध राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा बताया कि विभाग द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की कोई निर्देश पुस्तिका न होने के कारण सामान्य व्यक्ति कठिनाइयों को सुविधा में परिवर्तित करने के लिए एक उद्देश्य पुस्तिका बनाई गयी हैं। नियमों के अनुसार समिति में दो प्रकार की सदस्यता होगी जिसे सूची 'अ' अथवा 'ब ' में बाँटा गया हैं।

भारत (या) विदेश में किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी संगठन को केवल व्यावसायिक प्रयोजन के लिए अभिहित सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।

साधारणत: समितियां प्रवेशन शुल्क, शेयर पूंजी, उधार, जमा, रिजर्व व अधिशेष, अनुदान व सब्सिडि, दान, व्यावसायिक कार्यकलापों से आय आदि स्रोतों से निधियां प्राप्त कर सकेंगी। समिति का प्रबंधन का अंतिम प्राधिकार उसके सदस्यों की आम निकाय में निहित होगा। आम निकाय समय-समय पर अपने कार्य के सिलसिले में बैठक करेंगे। समिति में एक निदेशक बोर्ड होगा जो इसके कार्यों का प्रबंधन करेगा जिसका गठन सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा या राज्य की सहकारी समिति अधिनियम या नियमों में स्थापित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। निदेशक बोर्ड में न्यूनतम 11 और अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

समिति के अंतर्गत बही खाता व लेखाओं तथा रजिस्टरों का अनुरक्षण समिति द्वारा वित्तीय विवरणियों से संबंधित बहीखाते, नकद बहीखाता, बैंक बहीखाता, दैनिक बहीखाता, सामान्य बहीखाता, सहायक बहीखाता, शेयर पूंजी बहीखाता आदि रखी जाएगी। मंत्रालय की निर्देश पुस्तिका की सराहना करते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सहायक निदेशक डॉ. नवनीत अग्रवाल ने बताया कि सरकार के इस बदलाव से जनता की समस्याओं का समाधान होगा। जहाँ लोग सरकारी तंत्र से दूर रहते हैं उन्हें समय समय पर इन प्रयासों से सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

Dr. Navneet AgarwalAssistant DirectorWorld Trade Center Jaipur +91 9987777977

ये होंगे समिति के मुख्य उद्देश्य

- कार्यक्षेत्र में वित्तीय मानदंडों का अनुरक्षण करना
- सेवा या व्यावसायिक कार्य में शामिल होना
- वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना
- कृषि संबद्ध कार्यकलापों का प्रदर्शन, संवर्धन और नवीनतम प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का विकास
- माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना
- युवाओं व महिलाओं के समावेशन पर ध्यान केन्द्रित व प्रोत्साहित करना
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करना
- ऑनलाइन/डिजीटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (CSC) के रूप में कार्य करना

Title: नवीन निर्देशिका से जनता को मिलेंगी सुविधायाएं

Newspaper: जोशीला वतन | 21 /01/2023 | Page No. 1

नवीन निर्देशिका से जनता को मिलेंगी सुविधाएं- डॉ. नवनीत

दिव्य संचेतना

जयपुर। सामान्यत: सहकारी शब्द का अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। इसे 'सहकारी समिति' कहते हैं।

आपको बता दे कि सहकारिता मंत्रालय से संबद्ध राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा बताया कि विभाग द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की कोई निर्देश पुस्तिका न होने के कारण सामान्य व्यक्ति कठिनाइयों को सुविधा में परिवर्तित करने के लिए एक उद्देश्य पुस्तिका बनाई गयी हैं। नियमों के अनुसार समिति में दो प्रकार की सदस्यता होगी जिसे सूची 'अ' अथवा 'ब ' में बाँटा गया हैं।

भारत (या) विदेश में किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी संगठन को केवल व्यावसायिक प्रयोजन के लिए अभिहित सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।

साधारणत: समितियां प्रवेशन शुल्क, शेयर पूंजी, उधार, जमा, रिजर्व व अधिशेष, अनुदान व सब्सिडि, दान, व्यावसायिक कार्यकलापों से आय आदि स्रोतों से निधियां प्राप्त कर सकेंगी। समिति का प्रबंधन का अंतिम प्राधिकार उसके सदस्यों की आम निकाय में निहित होगा। आम निकाय समय-समय पर अपने कार्य के सिलसिले में बैठक करेंगे। समिति में एक निदेशक बोर्ड होगा जो इसके कार्यों का प्रबंधन करेगा जिसका गठन सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा या राज्य की सहकारी समिति अधिनियम या नियमों में स्थापित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। निदेशक बोर्ड में न्यूनतम 11 और अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

समिति के अंतर्गत बही खाता व लेखाओं तथा रजिस्टरों का अनुरक्षण समिति द्वारा वित्तीय विवरणियों से संबंधित बहीखाते, नकद बहीखाता, बैंक बहीखाता, दैनिक बहीखाता, सामान्य बहीखाता, सहायक बहीखाता, शेयर पूंजी बहीखाता आदि रखी जाएगी।

मंत्रालय की निर्देश पुस्तिका की सराहना करते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सहायक निदेशक डॉ. नवनीत अग्रवाल ने बताया कि सरकार के इस बदलाव से जनता की समस्याओं का समाधान होगा। जहाँ लोग सरकारी तंत्र से दूर रहते हैं उन्हें समय समय पर इन प्रयासों से सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

ये होंगे समिति के मुख्य उद्देश्य

- कार्यक्षेत्र में वित्तीय मानदंडों का अनुरक्षण करना
- सेवा या व्यावसायिक कार्य में शामिल होना
- वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना
- कृषि संबद्ध कार्यकलापों का प्रदर्शन, संवर्धन और नवीनतम प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का विकास
- माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना
- युवाओं व महिलाओं के समावेशन पर ध्यान केन्द्रित व प्रोत्साहित करना
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करना
- ऑनलाइन/डिजीटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (CSC) के रूप में कार्य करना

Title: नवीन निर्देशिका से जनता को मिलेंगी सुविधायाएं

Newspaper: दिव्य संचेतना | 21 /01/2023 | Page No. 4

प्रभात खबर
पटना, सोमवार 23.01.2023 | 07

सहकारिता. ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतें होंगी पूरी

2500 पैक्स का कंप्यूटरीकरण एक मंच पर मिलेंगी 25 सुविधाएं

संवाददाता, पटना

ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को बहुसेवा केंद्र और एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है. 25 सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराने और तकनीक द्वारा उनका कुशल प्रबंधन की पहल के तहत बिहार में पहले चरण में 2,500 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण किया जायेगा. लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जायेगी. पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा होने पर 50 हजार रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जायेगी. पैक्स तीन स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा (एसटीसीसी) के सबसे निचले स्तर पर है. यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है. राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड ने स्वचालित बना दिया है. पैक्स भी कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर होंगी. रोजाना के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली लागू की जायेगी. डीएनएस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक डॉ केपी रंजन बताते हैं कि पैक्स के मैन्युअल होने से इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी है. यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी.

छोटे और सीमांत किसानों की सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवा, उर्वरक, बीज जैसे इनपुट प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण केंद्र बनेगा

पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा होने पर 50 हजार रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जायेगी

एक ही प्लेटफॉर्म से इन सुविधाओं को दिलाने में होगी मदद

अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण, उर्वरक और कीटनाशक वितरण, बीज वितरण, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन गतिविधियां, कृषि मशीनरी, कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली - झींगा खेती, चिकन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न की खरीद, संग्रह, ग्रेडिंग, सफाई - पैकेजिंग से संबंधित गतिविधियां, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, भंडारण सुविधा (वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज), सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा, उचित मूल्य की दुकानें, पेट्रो पदार्थों की डीलरशिप, बैंक मित्र, व्यावसायिक पत्राचार, बीमा सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर - डेटा सेंटर लॉकर सुविधा आदि.

पैक्स किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं. अकेले इन व्यवसायों से होने वाली आय पैक्स की संचालन गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है. वर्तमान में पैक्स द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, जो ज्यादातर मामलों में दशकों पुरानी हैं और उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है.

डॉ केपी रंजन, निदेशक, डीएनएस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना

Title: 2500 पैक्स का कंप्यूटरीकरण एक मंच पर मिलेगी 25 सुविधाएं
Newspaper: प्रभात खबर | 23 /01/2023 | पृष्ठ 7 **Circulation:** 2,38,094

नवीन निर्देशिका से जनता को मिलेंगी सुविधाएं- डॉ. नवनीत

जयपुर।
सामान्यत: सहकारी शब्द का अर्थ है साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। इसे 'सहकारी समिति' कहते हैं।

आपको बता दे कि सहकारिता मंत्रालय से संबद्ध राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा बताया कि विभाग द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की कोई निर्देश पुस्तिका न होने के कारण सामान्य व्यक्ति कठिनाइयों को सुविधा में परिवर्तित करने के लिए एक उद्देश्य पुस्तिका बनाई गयी हैं। नियमों के अनुसार समिति में दो प्रकार की सदस्यता होगी जिसे सूची 'अ' अथवा 'ब ' में बाँटा गया हैं।

भारत (या) विदेश में किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी संगठन को केवल व्यावसायिक प्रयोजन के लिए अभिहित सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।

साधारणत: समितियां प्रवेशन शुल्क, शेयर पूंजी, उधार, जमा, रिजर्व व अधिशेष, अनुदान व सब्सिडि, दान, व्यावसायिक कार्यकलापों से आय आदि स्रोतों से निधियां प्राप्त कर सकेंगी।

Dr. Navneet AgarwalAssistant DirectorWorld Trade Center Jaipur +91 9987777977

ये होंगे समिति के मुख्य उद्देश्य

- कार्यक्षेत्र में वित्तीय मानदंडों का अनुरक्षण करना
- सेवा या व्यावसायिक कार्य में शामिल होना
- वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति के पश्चात् दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना
- कृषि संबद्ध कार्यकलापों का प्रदर्शन, संवर्धन और नवीनतम प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का विकास
- माइक्रो बीमा/बीमा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना
- युवाओं व महिलाओं के समावेशन पर ध्यान केन्द्रित व प्रोत्साहित करना
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करना
- ऑनलाइन/डिजीटल सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (CSC) के रूप में कार्य करना

समिति का प्रबंधन का अंतिम प्राधिकार उसके सदस्यों की आम निकाय में निहित होगा। आम निकाय समय-समय पर अपने कार्य के सिलसिले में बैठक करेंगे। समिति में एक निदेशक बोर्ड होगा जो इसके कार्यों का प्रबंधन करेगा जिसका गठन सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा या राज्य की सहकारी समिति अधिनियम या नियमों में स्थापित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। निदेशक बोर्ड में न्यूनतम 11 और अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

समिति के अंतर्गत बही खाता व लेखाओं तथा रजिस्टरों का अनुरक्षण समिति द्वारा वित्तीय विवरणियों से संबंधित बहीखाते, नकद बहीखाता, बैंक बहीखाता, दैनिक बहीखाता, सामान्य बहीखाता, सहायक बहीखाता, शेयर पूंजी बहीखाता आदि रखी जाएगी। मंत्रालय की निर्देश पुस्तिका की सराहना करते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सहायक निदेशक डॉ. नवनीत अग्रवाल ने बताया कि सरकार के इस बदलाव से जनता की समस्याओं का समाधान होगा। जहाँ लोग सरकारी तंत्र से दूर रहते हैं उन्हें समय समय पर इन प्रयासों से सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

दैनिक लोकमत | 23/01/2023 | Page No. 4

బహుళ సేవా కేంద్రాలుగా సహకార సంఘాలు

కడప అగ్రికల్చర్ : భారతదేశంలోని ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరిపతి సంఘాల(పీఏసీఎస్‌ల)ను బహుళ సేవా కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దుటకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని సహకార మంత్రిత్వ శాఖ కృషి చేస్తోందని సహకార శిక్షణ కేంద్ర డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్, ప్రిన్సిపాల్ గుర్రప్ప పేర్కొన్నారు. తద్వారా రైతు సభ్యులకు రుణపరపతి సౌకర్యంతో పాటు అన్ని సేవలు అందించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఆదివారం వైఎస్సార్, అన్నమయ్య, నెల్లూరు, తిరుపతి జల్లాల పరిధిలోని పీఏసీఎస్ సంఘాల ముఖ్య కార్య నిర్వాహణాధికారులకు ఆయన వర్చువల్ పద్ధతిలో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం పీఏసీఎస్ సంఘాలు చేస్తున్న స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలిక రుణాలతోపాటు ఎరువుల వ్యాపారం, విత్తనోత్పత్తి కేంద్రాలు, పెట్రోల్ బంకులు, ఎల్‌పీజీ కేంద్రాలు నిర్వహించుకొనుటకు వీలుగా బైలా కల్పిస్తుందన్నారు. వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలైన పాడిపరిశ్రమ, గొర్రెలు, మేకలు పెంపకం, చేపల పెంపకం, కోళ్ల పరిశ్రమ, శీతల గిడ్డంగుల, ఆహార ధాన్యాల సేకరణ, పూలతోటలు, తేనెటీగల పెంపకంతోపాటు పట్టు ఉత్పత్తి ప్రోత్సాహాన్ని పీఏసీఎస్‌లు చేయటకు వీలు కలుగుతుందన్నారు. ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరిమితి సంఘాలతో కంప్యూటీకరణ, డిజిటలైజేషన్ విధానం అమలుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న చర్యలు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్, అన్నమయ్య, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల పరిధిలోని పీఏసీఎస్ సహకార సంఘం ముఖ్య కార్యనిర్వాహణ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

వర్చువల్ మీటింగ్‌లో మాట్లాడుతున్న సహకార శిక్షణ కేంద్ర డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ గుర్రప్ప

CS Scanned with CamScanner

Topic: Model Byelaws for PACS

SAKSHI Telugu News Paper, Andhra Pradesh, YSR District edition Page no. 8, Dt. 30.01.2023

సహకార సంఘాలు సేవల్లో రాణించాలి

కడప గ్రామీణ, న్యూస్‌టుడే : ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలు అన్ని రకాల సేవల్లోనూ రాణించాలని సహకార శిక్షణ కేంద్రం ప్రిన్సిపల్ గుర్రప్ప అన్నారు. వైయస్ఆర్, అన్నమయ్య, తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల సంఘాల కార్యదర్శులకు వర్చువల్ పద్ధతిన ఆదివారం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అవగాహన కల్పించారు. ప్రస్తుతం సంఘాలు రైతులకు ఇస్తున్న రుణంతో పాటు పలురకాల వ్యాపారాలు చేసుకునే వీలు ప్రభుత్వం కల్పించిందన్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగా వసతులు సమకూర్చుకోవాలన్నారు. ఎరువులు, విత్తనాలు, పెట్రోలు బంకులు, ఇలా బహుళ సేవా కేంద్రాలుగా ఎదగాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆయా జిల్లాల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

మాట్లాడుతున్న సహకార శిక్షణ కేంద్రం ప్రిన్సిపల్ గుర్రప్ప

CS Scanned with CamScanner

Topic: Model Byelaws for PACS
EENADU Telugu News Paper Andhra Pradesh, YSR District Edition Page no. 6, Dt. 30.01.2023

CTC organises one-day awareness camp for farmers

HANS NEWS SERVICE
KADAPA (YSR DISTRICT)

In view of transforming Primary Agriculture Cooperative Societies (PACS) as Multi Service Centres (MSCs), following the directions of Ministry of Cooperation run under the Government of India, the Cooperative Training Centre(CTC) organised a virtual training programme to the farmers on Sunday. Speaking on the occasion, CTC Principal and Deputy Registrar B Garappa said that districts like YSR, Annamayya, SPSR Nellore, Tirupati would come under the CTC established in Kadapa. He said in view of uplifting the living standards of farming communities, the Ministry of Cooperation has decided to transform the 95,000 PACS across the country. As part of this initiative, Ministry of Cooperation has changed the bylaws recently. He said that as per the guidelines, training would be given to the farmers on business, marketing, long-term and short-term loans, maintaining petrol bunks and LPG gas centres, dairy farms, fertiliser shops, food grains procurement, godowns and sericulture. He urged the farmers to utilise the opportunity.

30/01/2023 TIRUPATI Pg 04

Topic: Model Byelaws for PACS
The HANS INDIA, English newspaper, Andhra Pradesh State, Thirupati edition, Page No. 4, dated 30.01.2023
https://www.thehansindia.com/andhra-pradesh/kadapa-ctc-organises-one-day-awareness-camp-for-farmers-779864

पैक्स किसानों को ऋण प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने में निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका

श्री लखन लाल साहू,
पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, रायपुर

देश में लगभग 95,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थित हैं, जिन्हें नाबार्ड द्वारा 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और 34 राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इन पैक्स में 13.12 करोड़ किसान सदस्य हैं। पैक्स किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि, अकेले इन व्यवसायों से होने वाली आय, पैक्स की संचालन गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में, पैक्स द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियाँ उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित हैं, जो ज्यादातर मामलों में दशकों पुरानी हैं और उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर पैक्स को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए प्रारूप मॉडल उपनियम तैयार करने के लिए किया गया था। इन्हें सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों को उनकी टिप्पणियों / प्रतिक्रिया के लिए दिनांक 01.07.2022 को परिचालित किया गया था। इस पर आम जनता के सुझाव भी मांगे गए थे। संबंधित सभी हितधारकों से 1500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें मॉडल उपनियमों के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

ये मॉडल उपनियम पैक्स को 25 से अधिक क्षेत्रों (कृषि और गैर-कृषि, ऋण और गैर-ऋण) में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे, इस प्रकार उन्हें बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (बहू-उद्देशीय पैक्स) में परिवर्तित कर देंगे। मॉडल उपनियमों के अनुसार पैक्स द्वारा की जा सकने वाली कुछ सांकेतिक व्यावसायिक गतिविधियाँ इस प्रकार हैं: अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण, उर्वरक और कीटनाशक वितरण, बीज वितरण, मत्स्य पालन / डेयरी / मुर्गी पालन गतिविधियाँ, कृषि मशीनरी / कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली / झींगा खेती, चिकन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न की खरीद, संग्रह, ग्रेडिंग, सफाई गतिविधियाँ, पैकेजिंग से संबंधित गतिविधियाँ, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, भंडारण सुविधा (वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज), सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा, उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी / पेट्रोल / डीजल डीलरशिप, बैंक मित्र / व्यावसायिक पत्राचार, बीमा सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर / डेटा सेंटर, लॉकर सुविधा आदि। यह देश में कृषि के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

मॉडल उपनियमों में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं और कानूनी तथा प्रशासनिक संरचना, पैक्स के संचालन के क्षेत्र के विस्तार से संबंधित आवश्यक प्रावधान शामिल हैं; ऋण पोर्टफोलियो में विविधीकरण; लंबी अवधि के ऋण का प्रावधान; व्यापार से संबंधित सेवाओं में विस्तार; सदस्यता संबंधी प्रावधान; निदेशक मंडल (बीओडी), सामान्य निकाय और प्रबंधन संबंधी प्रावधान; लेखापरीक्षा आदि को शामिल किया गया है। वे पैक्स को एक सक्षम कानूनी और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करेंगे ताकि उनके लिए बेहतर शासन, व्यवहार्य व्यवसाय संचालन और कुशल कार्य पद्धति उपलब्ध हो सके, इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहु-सेवा केंद्र और एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य किया जा सके।

मॉडल उपनियमों को पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके तहत मॉडल उपनियमों में उल्लिखित सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करते हुए एक एकल ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। पैक्स को समर्थन प्रदान करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्राम सभा / सरकारी भूमि उपलब्ध कराने, उचित मूल्य की दुकान (स्नक्क) के लिए लाइसेंस और न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क) पर खाद्यान्न की खरीद के लिए पैक्स को एजेंसी के रूप में नामित करने आदि के संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है। ये मॉडल उपनियम केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और संबंधित पैक्स अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त संशोधनों के बाद उन्हें अपना सकते हैं।

दैनिक श्रमबिन्दु | 31/01/2023 | Page No. 4 Circulation :17,183

एनसीसीटी की प्रशिक्षण इकाइयां

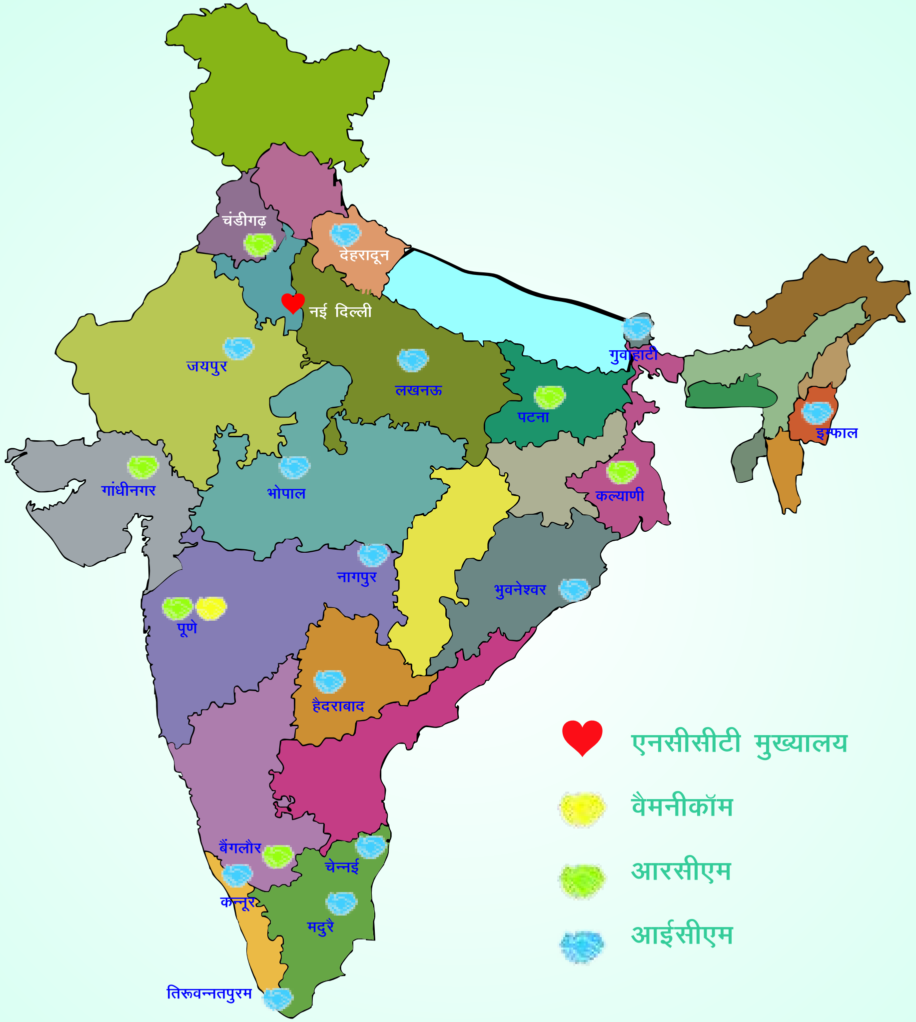

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड एक स्वायत्त संस्था)
3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, तीसरा तल, एनसीयूआई बिल्डिंग, नई दिल्ली –110016
011-41096510 secy-ncct@gov.in www.ncct.ac.in